झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
अष्टम् (बजट)सत्र
वर्ग–04

निम्नांकित तारांकित प्रश्न, गुरुवार, दिनांकः– 12,फाल्गुन,1943(श0) / 03 मार्च, 2022 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
95-	ज0–06	श्री भानु प्रताप शाही,	सिंचाई योजनाओं का जिर्णोद्धार।	जल संसाधन	24-02-22
96-	जा0–11	श्री मंगल कालिन्दी,	पावर सब–स्टेशन निर्माण।	ऊर्जा	24-02-22
97-	ज0–24	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	प्रमंडल स्थानांतरण हेतु।	जल संसाधन	24-02-22
98-	मस0–04	श्री सरयु राय,	पूरक पोषाहार योजना।	म0बा0विकास एवं सा0सुरक्षा	24-02-22
99-	ज0–26	श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता,	तालाब सौंदर्यीकरण कराना।	जल संसाधन	24-02-22
100-	खा0–05	डॉ0कुशवाहा शशिभूषण मेहता,	मानदेय देना।	खा0सा0वि0 एवं उप0मामले	24-02-22
101-	ऊा0–15	श्री निरल पुरती,	विद्युतीकरण करना।	ऊर्जा	24-02-22
102-	मस0–03	श्री लोबिन हेम्ब्रम,	लंबित वेतन भुगतान।	म0बा0वि0 एवं सा0सुरक्षा	24-02-22
103-	ज0–01	श्री बन्धु तिर्की,	मुआवजा की राशि भुगतान।	जल संसाधन	24-02-22
104-	ज0–10	श्री सुखराम उराँव,	नकटी जलाशय जिर्णोद्धार।	जल संसाधन	24-02-22

क्र0पृ030............2/–

01	02	03	04	05	06
105-	ज0-07	श्री उमाशंकर अकेला,	लिफ्ट एरिगेशन की व्यवस्था।	जल संसाधन	24-02-22
106-	जा0-01	श्री आलोक कुमार चौरसिया,	F.I.R पर कार्रवाई।	ऊर्जा	17-02-22
107-	ज0-04	श्री किशुन कुमार दास,	बाँध निर्माण हेतु।	जल संसाधन	24-02-22
108-	ज0-18	श्री अमर कुमार बाउरी,	स्थानांतरित करना।	जल संसाधन	24-02-22
109-	कृष0-03	श्री नवीन जयसवाल,	धान क्रय के संबंध में।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
110-	कृष0-15	श्री केदार हजरा,	अनुदान देना।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
111-	ज0-25	श्री रामचन्द्र सिंह,	जीर्णोद्धार करना।	जल संसाधन	24-02-22
112-	खा0-04	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	आपूर्ति करना।	खा0सा0वि0 एवं उप0मामले	24-02-22
113-	ज0-17	श्री भूषण बड़ा,	संसाधन मुहैया कराना।	जल संसाधन	24-02-22
114-	क0-02	डॉ0इरफान अंसारी,	बोर्ड एवं निगम का गठन।	अ0जा0अ0ज0 जा0अल्प0सं0 एवं पि0वर्ग कल्याण	24-02-22
115-	मस0-01	श्री कमलेश कुमार सिंह,	कार्यालय खोलना।	म0बा0वि0 एवं सा0सुरक्षा	17-02-22
116-	कृष0-02	डॉ0इरफान अंसारी,	गठन करना।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
117-	ज0-05	डॉ0कुशवाहा शशिभूषण मेहता,	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	24-02-22
118-	कृष0-18	डॉ0 नीरा यादव,	अनुदान देना।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
119-	क0-01	श्री बिरंची नारायण,	दोषियों पर कार्रवाई।	अ0जा0अ0ज0 जा0अल्प0सं0 एवं पि0वर्ग कल्याण	17-02-22
120-	क0-05	डॉ0सरफराज अहमद,	योजनाएँ पूर्ण कराना।	अ0जा0अ0ज0 जा0अल्प0सं0 एवं पि0वर्ग कल्याण	24-02-22
121-	कृष0-09	सुश्री अम्बा प्रसाद,	सिंचाई हेतु नई योजना।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22

कृ0पृ0उ0.....3/-

01	02	03	04	05	06
122.	क0-07	श्री जीगा सुसारण होरो,	छात्रावास का निर्माण।	अ0जा0अ0ज0 जा0अल्प0सं0 एवं पि0वर्ग कल्याण	24-02-22
123.	कृष0-21	श्रीमती ममता देवी,	पदस्थापित करना।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
124.	ज0-19	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	योजनाओं का पुनरुद्धार।	जल संसाधन	24-02-22
125.	मस0-05	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	बाल विवाह रोकना।	म0बा0वि0 एवं सा0सुरक्षा	24-02-22
126.	कृष0-01	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	आयोग का गठन।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
127.	जा0-14	सुश्री अम्बा प्रसाद,	बिजली बिल यथावत् रखना।	ऊर्जा	24-02-22
128.	कृष0-19	श्री विकास कुमार मुण्डा,	आवंटन करना।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
129.	ज0-09	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	तालाबों की मरम्मति।	जल संसाधन	24-02-22
130.	क0-12	श्री संजीव सरदार,	मानदेय एवं स्थायीकरण करना।	अ0जा0अ0ज0 जा0अल्प0सं0 एवं पि0वर्ग कल्याण	24-02-22
131.	कृष0-07	श्री सुदिव्य कुमार,	राईस मिल खोलना।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
132.	ज0-15	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	योजनाओं को कराना।	जल संसाधन	24-02-22
133.	कृष0-23	श्री संजीव सरदार,	कोल्ड स्टोरेज निर्माण कराना।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
134.	क-06	श्री मंगल कालिन्दी,	पेंशन का भुगतान।	अ0जा0अ0ज0 जा0अल्प0सं0 एवं पि0वर्ग0कल्याण	24-02-22
135.	कृष0-10	श्री अमित कुमार यादव,	मानदेय का भुगतान।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
136.	जा0-13	श्री दिनेश विलियम मराण्डी,	अण्डर ग्राउण्ड केबलिंग करना।	ऊर्जा	24-02-22
137.	क0-10	श्री लोबिन हेम्ब्रम,	छात्रावास में जगह दिलाना।	अ0जा0अ0ज0 जा0अल्प0सं0 एवं पि0वर्ग कल्याण	24-02-22
138.	जा0-04	श्री विनोद कुमार सिंह,	विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना।	ऊर्जा	24-02-22

कृ0पृ0उ0.....4/-

01	02	03	04	05	06
139-	कृष0-13	श्री केदार हजरा,	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
140-	जा0-16	श्री विकास कुमार मुण्डा,	खराब ट्रांसफर्मर बदलना।	ऊर्जा	24-02-22
141-	ज0-02	श्री अमित कुमार मण्डल,	किसानों का भूमि बचाने।	जल संसाधन	24-02-22
142-	कृष0-04	श्री भानु प्रताप शाही,	पशु टेस्ट लैब खोलना।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
143-	ज0-12	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,	चैकडैम बनाना।	जल संसाधन	24-02-22
144-	क0-11	श्री निरल पुरती,	बजट समतुल्य करना।	अ0जा0अ0ज0 जा0अल्प0सं0 एवं पि0वर्ग कल्याण	24-02-22
145-	खा0-08	श्री अनन्त कुमार ओझा,	योजना का लाभ दिलाना।	खा0सा0वि0 एवं उप0मामले	24-02-22
146-	ज0-11	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,	नहर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।	जल संसाधन	24-02-22
147-	मस0-02	श्रीमती पूर्णिमा निरज सिंह,	ड्रेस कोड लागू करना।	म0बा0वि0 एवं सा0सुरक्षा	17-02-22
148-	कृष0-22	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	उद्यान मित्रों के मानदेय में वृद्धि।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
149-	ज0-22	श्री नलिन सोरेन,	नहर का पक्कीकरण।	जल संसाधन	24-02-22
150-	कृष0-12	श्री दशरथ गागराई,	तालाब का जीर्णोद्धार।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
151-	ज0-16	श्री भूषण बड़ा,	सोलर सिस्टम लगाना।	जल संसाधन	24-02-22
152-	कृष0-25	श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता,	राशि जमा कराना।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
153-	कृष0-17	श्री अनन्त कुमार ओझा,	धान कय कर राशि दिलाना।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
154-	जा0-08	श्री सुदिव्य कुमार,	ट्रांसफार्मर बदलना।	ऊर्जा	24-02-22
155-	कृष0-20	श्री नारायण दास,	प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
156-	ज0-21	श्री नलिन सोरेन,	सिंचाई सुविधा मुहैया कराना।	जल संसाधन	24-02-22

क0पृ0उ0.....5/-

01	02	03	04	05	06
157.	कृष0-06	श्री उमाशंकर अकेला,	गहरीकरण कराना।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	24-02-22
158.	खा0-10	श्रीमती ममता देवी,	पदस्थापन कराना।	खा0सा0वि0 एवं उप0मामले	24-02-22

रॉची,
दिनांक-03 मार्च,2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-660/वि0स0,रॉची,दिनांकः-27/02/22

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/22

(कुन्दन कुमार सिंह)
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-660/वि0स0,रॉची,दिनांकः-27/02/22

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/22

उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-660/वि0स0,रॉची,दिनांकः-27/02/22

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा एवं संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/22

उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

गोपी//

26/02/22

95

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जल संसाधन विभाग के द्वारा गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कई दशक पूर्व कराए गए है।	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि वैसे सभी लघु सिंचाई योजनाओं से आज भी किसानों के हजारों हेक्टर जमीन की सिंचाई उसी योजनाओ पर टिका हुआ है।	स्वीकारात्मक
3	क्या यह बात सही है कि उक्त लघु सिंचाई योजनाओ की स्थिति समय पर देख–रेख नहीं होने के वजह से जीर्ण–शीर्ण हो चुका है	लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण के पश्चात् योजनाएँ लाभुक समिति को उपयोग एवं रख–रखाव हेतु हस्तगत करायी जाती है। समय–समय पर विभाग द्वारा योजनाओं का जीर्णोद्धार किया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले लघु सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	जल संसाधन विभाग द्वारा विगत पाँच (05) वर्षों मे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल–12 अदद योजनाओं का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है एवं कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। शेष योजनाओं का जीर्णोद्धार आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से आगामी वर्षों में कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०– 88/2021 1204 / राँची, दिनांक– 01/03/22

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–.... दिनांक–____ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

D:\Data\My documents\2021-22\Vidhan sabha FEB_March_2022\BHANU PRATAP SAHI_07.docx

(96)

श्री मंगल कालिन्दी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मंगल कालिन्दी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि जुगसलाई विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जमशेदपुर प्रखण्ड के बेलाजुड़ी ग्राम में पावर सब स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है;	हाँ, जुगसलाई विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जमशेदपुर प्रखण्ड के बेलाजुड़ी ग्राम में झारखण्ड राज्य बिजली अच्छादन योजना (JSBAY) के अन्तर्गत पावर सब-स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पावर सब स्टेशन के अभाव में जमशेदपुर प्रखण्ड के दलदली, बेकी, पलासबनी, बड़ाबांकी एवं देवघर पंचायतों में बिजली वितरण मानगो पावर ग्रिड से किया जाता है, जिससे मानगो पावर ग्रिड पर अनावश्यक दबाव पड़ता है;	उक्त क्षेत्र को मानगो विद्युत शक्ति उपकेन्द्र से बिजली दी जाती है जिसकी लम्बाई लगभग 30 कि०मी० है जिसका Maintenance को आसान करने के लिए बेलाजुड़ी में P.S.S. का प्रस्ताव दिया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-01 में प्रस्तावित पावर सब स्टेशन का निर्माण अविलंब कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	इस प्रस्तावित विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु JSBAY योजना के अन्तर्गत M/S Ubitech Pvt. Ltd. को कार्य आवंटित किया गया है। M/s Ubitech Pvt. Ltd. के द्वारा Capital Shortage के कारण वर्तमान में अविलम्ब कार्य प्रारम्भ करने में असमर्थता जतायी गई है। भविष्य में इस कार्य को पूर्ण करा लिया जावेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 398 / दिनांक 02/3/22

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(97)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 03.03.2022 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-24 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के प्रखण्ड विष्णुगढ़, टाटीझरिया, चुरचू तथा डाडी लघु सिंचाई प्रमण्डल रामगढ़ के अधिन है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्डों की दूरी जिला मुख्यालय रामगढ़ से लगभग 50 से 100 कि०मी० प्रति है, जिससे विभागीय कार्य सम्पादन में घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा विकास योजनाओं का समुचित देख–रेख एवं नियंत्रण सही ढंग से नही हो पाता है,	जिला मुख्यालय, रामगढ़ से विष्णुगढ़, टाटीझरिया, चुरचू तथा डाडी प्रखण्डों की दूरी 25 से 80 कि०मी० के बीच है। विभागीय कार्य सम्पादन में कोई कठिनाई नहीं होती है तथा विकास योजनाओं का समुचित देख–रेख एवं नियंत्रण सही ढंग से होता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हजारीबाग जिलान्तर्गत प्रखण्ड – विष्णुगढ़, टाटीझरिया चुरचू तथा डाडी को लघु सिंचाई प्रमण्डल रामगढ़ से स्थानान्तरित कर लघु सिंचाई प्रमण्डल, हजारीबाग में करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	सरकार प्रश्नगत् प्रखण्डों को लघु सिंचाई प्रमण्डल हजारीबाग में करने का विचार नहीं रखती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०– 68/2021 1207 / राँची, दिनांक– 01/03/22

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–___ दिनांक–_____ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2.) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कौंके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2022

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(99)

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 03.03.2022 को पूछ जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-26 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का निरसा विधान सभा क्षेत्र औद्योगिक व खनन् तथा घनी आबादी क्षेत्र है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि निरसा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम–मोराढीह पंचायत बेजरा में बड़ा सरकारी तालाब मौजा–मोराढीह, मौजा नं0–04, खाता नं0–52, प्लॉट नं0–1112, 1113, 1114, 1115, 1061 तथा कुल रकबा–11 एकड़ है,	अस्वीकारात्मक। बड़ा सरकारी तालाब पूर्वी टुण्डी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम–मोराढीह पंचायत बेजरा में स्थित है।
3	तथा यह बात सही है कि उपर्युक्त तालाब के अंतर्गत अगल बगल की आबादी लगभग (5) पाँच हजार है तथा प्रभावित गाँव मोराढीह, लोधाढीह, मोराढीह हरिजन कॉलोनी के लोग स्नान ध्यान, पुजा–पाठ, मवेशी पानी पीने में लोग उपयोग करते है,	स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त तालाब का जीर्णोद्धार तथा सौदर्यीकरण अब तक नहीं कराया गया है,	स्वीकारात्मक।
5	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त तालाब का सौदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नही तो क्यों ?	अंचलाधिकारी पूर्वी टुण्डी से तालाब के जमीन की प्रकृति (सरकारी/निजी) के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त योजना के जीर्णोद्धार कार्य पर निर्णय लिया जाएगा। सौदर्यीकरण का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०– 68/2021 1200 / राँची, दिनांक– 01/05/22

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–..... दिनांक–..... के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रश्नोत्तरी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.05.2022

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(100)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 03.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या खा०–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में कार्यरत 2–हजार से ज्यादा जन वितरण विक्रेताओं और सहायक पल्लेदारों को उनसे लिए जा रहे कार्यों के एवज में वर्त्तमान में मिल रहे कार्डधारियों के आधार पर प्राप्त कमीशन 2000/– (दो हजार) रूपये के लगभग मिलता है;	वर्तमान में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों के वितरण पर निम्नवत् दर से डीलर कमीशन की राशि देय है :– सामग्री – दर खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) – 100 रूपये प्रति क्विंटल चीनी – 100 रूपये प्रति क्विंटल नमक – 100 रूपये प्रति क्विंटल किरासन तेल – 1.00 रूपये प्रति लीटर धोती/लुंगी/साड़ी – 1.00 रूपये प्रति वस्त्र खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों के वितरण पर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को प्राप्त कमीशन की राशि औसतन लगभग 6,500 रूपये प्रति माह है।
(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के जन वितरण विक्रेताओं की तरह समान काम करने वाले तमिलनाडु सरकार अपने राज्य के जन वितरण विक्रेताओं को 20,000/– रूपये प्रतिमाह मानदेय देती है;	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 70 रूपये प्रति क्विंटल की दर से डीलर कमीशन की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से 35 रूपये प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा दिया जाता है एवं 35 रूपये प्रति क्विंटल का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। साथ ही, ई–पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण करने पर 17 रूपये प्रति क्विंटल की दर से Additional Margin दिए जाने का प्रावधान है जिसमें से 8.50 रूपये प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा तथा शेष 8.50 रूपये प्रति क्विंटल राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा डीलर कमीशन हेतु 35 + 8.50 = 43.50 रूपये प्रति क्विंटल की दर से डीलर कमीशन की राशि दी जाती है जबकि राज्य सरकार द्वारा 100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से डीलर कमीशन देने हेतु 100 – 43.50 = 56.50 रूपये का वहन राज्य निधि से किया जाता है। खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर देय कमीशन की राशि कंडिका–1 में अंकित है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तामिलनाडु राज्य सरकार की तरह झारखण्ड के जन वितरण विक्रेताओं को 20,000/– रूपये मासिक मानदेय देना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	डीलर के Financial Viability बढ़ाने के लिए वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु Common Service Centre (CSC), प्रज्ञा केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 6,737 दुकानों को प्रज्ञा केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है जिसमें से अब तक 1,214 को प्रज्ञा केन्द्र की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है एवं शेष में कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रज्ञा केन्द्र के रूप में विकसित होने पर जन वितरण प्रणाली दुकानदार जाति, आवासीय, आय, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, Aadhar Enrolment, बिजली बिल एवं रिचार्ज आदि एवं अन्य सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध करा कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण ई–स्टोर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को बेच सकते हैं। इससे दुकानदारों के आय में काफी वृद्धि होगी।

ह0/–
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–11/2022 625 /राँची, दिनांक 02/03/22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–456, दिनांक 24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

(101)

श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–15 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मझगाँव प्रखण्ड के घोड़ाबंधा, अगरपदा, नयागाँव, परसा, बलियापोसी पंचायत, कुमारडुंगी प्रखण्ड के खण्डकोरी, बारुसाई, अंधारी पंचायत, तांतनगर प्रखण्ड के अंगरडीहा, टांगर पोखरिया, कुलाबुरु पंचायत एवं मंझारी प्रखण्ड के पंगा, रोलाडीह, पिलका, तोरलो, लकड़ा पंचायत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के गाँवों/ टोला में किसी भी योजना अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। पश्चिमी सिंहभुम जिलान्तर्गत मंझगांव प्रखण्ड के घोड़ाबंधा पंचायत के कुल 6 ग्रामों मे से 04 ग्राम, अगरपदा पंचायत के कुल 6 ग्रामों में से 2 ग्राम, नयागाँव पंचायत के 7 ग्रामों मे से कुल 4 ग्राम, परसा पंचायत के कुल 9 ग्रामों में से 8 ग्राम तथा बलियापासे पंचायत के कुल 7 ग्राम में से 6 ग्राम, कुमारडुंगी प्रखण्ड अन्तर्गत खण्डकोरी पंचायत के कुल 10 ग्रामों में से 7 ग्राम, बारुसाई पंचायत के कुल 5 ग्रामों में से 4 ग्राम तथा अंधारी पंचायत के कुल 8 ग्रामों में से 7 ग्राम, तांतनगर प्रखण्ड के अंगरडीह पंचायत के कुल 8 ग्रामों में से 7 ग्राम, टांगर पोखरिया पंचायत के कुल 7 ग्रामों में से 6 ग्राम तथा कोकचो पंचायत के कुलाबुरु ग्राम, मंझारी प्रखण्ड के पंगा पंचायत के कुल 7 ग्रामों में से 7 ग्राम, रोलाडीह पंचायत के कुल 6 ग्रामों में से 6 ग्राम, पिलका पंचायत के कुल 6 ग्रामों में से 6 ग्राम, तोरलो पंचायत के कुल 3 ग्रामों में से 2 ग्राम तथा लकड़ा पंचायत के कुल 7 ग्रामों में से 4 ग्रामों का विद्युतीकरण DDUGJY & RE State Plan के द्वारा किया गया तथा कुमारडुंगी प्रखण्ड खण्डकोरी पंचायत के हल्दीपोखर का विद्युतीकरण JREDA Solar द्वारा किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मेसर्स एकचक इलेक्ट्रिक वर्क्स, हैदराबाद द्वारा अधूरा कार्य किया गया एवं वर्तमान एजेंसी द्वारा अधूरे विद्युतीकरण का कार्य करने को तैयार नहीं है;	मेसर्स एकचक इलेक्ट्रिक वर्क्स, हैदराबाद के द्वारा चार प्रखण्ड तांतनगर, मंझारी, टोंटो एवं झटगम्हरीया में कुल 110 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के गाँवों/ टोला में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त वर्णित प्रखण्ड के शेष बचे ग्रामों में से 60 अदद् ग्रामों का JSBAY योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया जा रहा है। उसके बाद बचे हुए ग्राम RDSS योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 397 / दिनांक 02/03/22

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(10)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– मस–03 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत बोआरीजोर प्रखंड के बाल विकास परियोजना, बोआरीजोर में पदस्थापित व कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका क्रमशः कमल हेम्ब्रम, सेढागिनी मुर्मू हेम्ब्रम एवं चंदा रविदास को बिना किसी कारण के विगत् वर्ष 2017–18, 2019–20 एवं 2020–21 से वर्णित लम्बित वेतन का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है;	उपायुक्त, गोड्डा एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा से प्रतिवेदन प्राप्त की गयी है। दोनों पदाधिकारी द्वारा आवंटन का अभाव इसका कारण बताया है। प्राप्त प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं है एवं इस प्रकरण की जाँच अपेक्षित प्रतीत होता है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष का TDS भी नहीं भरा जा सका है;	कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका का लम्बित भुगतान कब तक करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	कार्यरत कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु विभाग द्वारा राशि जिलों को स–समय आवंटित की जाती है। किन्हीं खास कर्मियों का खास अवधि (यों) को वेतनादि भुगतान लंबित रहना प्रथम दृष्टया जाँच का विषय है तथा इस हेतु निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची से सम्यक् जाँच कराई जा रही है। जाँचोपरांत फलाफल के आलोक में इन कर्मियों वेतनादि भुगतान हेतु नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/मा०स०/विधान सभा– 88/2022 –511 राँची, दिनांक 01/03/2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं०– 271/वि०स० दिनांक–24.02.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.22

(अरशद जमील)

सरकार के अवर सचिव।

(103)

श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के बेड़ो अंचल अनतर्गत ग्राम-कराजी, थाना-बेड़ो, थाना संख्या-49 में लघु सिंचाई परियोजना के तहत डैम का निर्माण ग्रामीण कृषि भूमि पर किया गया और नौ वर्ष के पश्चात् भी प्रभावित किसानों को मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किया गया,	आंशिक स्वीकारात्मक। 8.33 हे0 भूमि में से 5.30 हे0 भू-अर्जन हो चुका है। शेष 3.03 हे0 हेतु 364.40 लाख राशि की अभियाचना प्राप्त है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (एक) में वर्णित प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा की राशि का भुगतान यथाशीघ्र करने पर विचार रखती है, और नहीं, तो क्यों ?	भू अर्जन कार्यालय से भू मुआवजा के भुगतान हेतु माँग पत्र प्राप्त हो गया है। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रकियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारां०- 18/2022 1208 / राँची, दिनांक- 01/03/2022

प्रतिलिपि :-(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-294 दिनांक-24.02.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2022

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

104

श्री सुखराम उराँव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चक्रधरपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बन्दगाँव प्रखण्ड में "नकटी जलाशय योजना" अवस्थित है.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त जलाशय योजना से बन्दगाँव प्रखण्ड के हजारों एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है.	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि नकटी जलाशय का आढ़ (मेढ़) धँसने के कारण पानी का रिसाव हो रहा है, जिस कारण कृषकों में भय व्याप्त है.	आंशिक स्वीकारात्मक। नकटी जलाशय का आढ़ (मेढ़) नहीं धँसा है।नकटी जलाशय योजना में स्पीलवे के दोनों छोर तथा डाउन स्ट्रीम फ्लोर में रिसाव हो रहा है, जिसकी मरम्मति की कारवाई के लिए संवेदक को निर्देश दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में "नकटी जलाशय (डैम)" का जीर्णोद्धार/मरम्मति कराने का विचार रखती है. हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संबंधित एकरारनामा अभी बंद नही हुआ है। आवश्यक मरम्मति एवं सुधारात्मक कार्य कराने का निर्देश संवेदक को दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–10/2022 – 1193 /राँची, दिनांक 01/03/2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 306 वि०स० दिनांक 24.02.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2022

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(105)

श्री उमा शंकर अकेला, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 03.03.2022 को पूछ जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत पदमा प्रखण्ड के ग्राम--गारूकुरहा, सिमरकुरहा, रोमी, कुटीपिसी, जुहु, बंदरबेला, बरही, प्रखण्ड के केदारूत, गौरियाकरमा, करसो, कैपारण प्रखण्ड के लोहड़ी, मानगढ़, ठुठी, चयकला, बेला, अकुरहवा, छतरपुरा, तुरीयाकरमा, वृन्दावन, मानगढ़ में सिंचाई की व्यवस्था नही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त गाँवो में सिंचाई की व्यवस्था नही होने से फसलो की पैदावार बहुत ही निम्न है एवं लोग शहर की ओर पलायन करने को मजबूर है;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त गाँवो में लिफ्ट एरिगेशन की व्यवस्था से हजारों एकड़ जमीन सिंचित होगी तथा फसलों की पैदावार एवं किसानों की आय में वृद्धि होगी;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त गाँवो में लिफ्ट एरिगेशन की व्यवस्था करना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नही तो क्यों ?	उद्वह सिंचाई योजना के निर्माण हेतु लाभुक समिति से विद्युत संयोजन, विद्युत विपत्र का भुगतान, योजना का रख--रखाव एवं संचालन सम्बंधी शपथ पत्र प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां0– 68/2021 1206 / राँची, दिनांक– 01/03/22

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–___ दिनांक–_____ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2022

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

106

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के प्रखण्ड-चैनपुर, मेदिनीनगर (सदर), सतबरवा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल विभाग द्वारा मनमानी तरीके से भेजा जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
2 क्या यह बात सही है कि कई ग्रामीणों को बिना बिजली कनेक्शन के बिजली बिल थमा दिया जा रहा है तथा विभाग को शिकायत मिलने के बाद सत्यापन कर कंज्यूमर को विपत्र ना भेजकर सीधे उस पर F.I.R दर्ज कर ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है;	ग्रामीण विद्युतीकरण एवं बिजली कनेक्शन का कार्य साथ-साथ चल रहा था, कार्य पूरा करने के पश्चात् गाँव का लाईन चालू हुआ। नये विद्युत कनेक्शन का बिल इसके पश्चात् ही निर्गत किया गया। तकनीकी खराबी के कारण कुछ उपभोक्ताओं का बिल निर्गत हो गया था, जिसे विभाग के द्वारा सुधार कर लिया गया है। बिजली चोरी में लिप्त लोगों के विरूद्ध F.I.R दर्ज की जाती है अन्यथा नहीं।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्रामीणों के ऊपर लगाये गये आरोप को विभाग द्वारा विपत्र का सत्यापन कराने तथा गलत F.I.R दर्ज को उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 352 / दिनांक 25/2/22

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/2022

(अजय कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

(107)

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत मयूरहण्ड प्रखण्ड के करकरा नदी पर बाँध का निर्माण नहीं होने से किसानों की 5,000 एकड़ भूमि पर सिंचाई कार्य बाधित है.	अस्वीकारात्मक चतरा जिला के मयूरहण्ड प्रखण्ड में करकरा नदी के उक्त स्थल पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा 6 अदद चेक डैम का निर्माण किया गया है जिससे वर्तमान में 1050 एकड़ में खरीफ सिंचाई एवं 412 एकड़ में रबी सिंचाई दी जा रही है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त नदी पर बाँध का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जल संचय का उक्त स्थल पर पर्याप्त श्रोत नहीं होने के कारण बड़े बाँध का निर्माण संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–04/2022 – 1194 **/राँची, दिनांक** 01/03/2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 296 वि०स० दिनांक 24.02.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2022

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\MIS Cell Dept\03.03.2022\New Vidhan Sabha\Feb-March 2022\J-4 Kishun Kumar Das.doc

(108)

माननीय श्री अमर कुमार बाउरी, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–ज०–18 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना में चाँडिल बाँयी मुख्य नहर के किमी 78.567 से निकलने वाले OR-35 नहर का निर्माण वर्ष–2006 में प्रारंभ हुआ था लेकिन 15–वर्ष में अबतक कार्य पूर्ण नहीं हुआ जिससे किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	– आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के पत्रांक--70 दिनांक 07.01.2016 द्वारा सचिव, जल संसाधन विभाग को पत्र लिख कर निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता की जाँच कर प्रतिवेदन की माँग की गई थी ;	– स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय अनियमितता में 7.5 करोड़ रूपये के गलत भुगतान के दोषी तत्कालीन सहायक अभियंता अशोक कुमार दास को पाया गया था, जिन्हें अधिसूचना संख्या–2262, दिनांक 21.05.2021 द्वारा चाँडिल कॉम्पलेक्स का मुख्य अभियंता बना दिया गया ताकि घोटाले की लीपा पोती की जा सके ;	– अस्वीकारात्मक। वित्तीय अनियमितता के जाँच के संदर्भ में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :– (1) योजना–सह–वित्त विभाग के पत्रांक– 35/वि. दिनांक 05.01.2016 के आलोक में प्रश्नगत मामले में संलिप्त पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने, संबंधित अनियमित भुगतान की राशि वसूली संबंधित कार्रवाई करने, तथा महालेखाकार (लेखा परीक्षक) झारखण्ड, राँची द्वारा उठाये गये आपत्तियों का निराकरण संबंधी प्रतिवेदन की माँग विभागीय पत्रांक–4346, दिनांक 11.10.2018 द्वारा प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना आदित्यपुर जमशेदपुर से किया गया। (2) इसी क्रम में विभागीय आदेश सं.–697 दिनांक 04.10.2018 द्वारा मामले में निर्मित संरचनाओं के पुर्नमापी हेतु पुर्नमापी समिति का गठन किया गया। उक्त गठित समिति के आलोक में मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स के पत्रांक–746 दिनांक 09.05.2019 द्वारा पुर्नमापी प्रतिवेदन एवं मापी पुस्त में दर्ज अंतिम विपत्र की मापी में भिन्नता आने की संभावना के कारण पुर्नमापी समिति से प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरान्त ही विभागीय कार्यवाही/आरोप पत्र के गठन को तर्कसंगत होना प्रतिवेदित किया गया। (3) पुर्नमापी समिति द्वारा समर्पित पुर्नमापी प्रतिवेदन का मूल्यांकन/जाँच विभागीय स्तर पर की जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गलत भुगतान की राशि वसुलने और दोषी मुख्य अभियंता को चाँडिल कॉम्पलेक्स से अन्यत्र स्थानांतरित करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	– उक्त जाँच के समीक्षोपरान्त निष्कर्षित अन्तिम फलाफल के उपरान्त यथा आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग,

ज्ञापांक :–06/ज.सं.वि.–20–तारांकित–23/2022– 1199 रॉंची, दिनांक :– 01/03/22

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–448 दिनांक 24.02.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, रॉंची/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड रॉंची/ मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, रॉंची/ उप सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/ अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01 एवं 2, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–08, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06, जल संसाधन विभाग, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(देवेन्द्र कुमार) 1.3.22

सरकार के अवर सचिव।

(109)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 03.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या कृष–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री नवीन जायसवाल
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि 31–जनवरी, 2021 के आँकड़ों के अनुसार काफी देर से धान खरीद के मामले में राज्य सरकार कुल रजिस्टर्ड 234724 किसानों में से सिर्फ 30831 किसानों से ही एम०एस०पी० पर धान खरीद पाई है जिससे बाकी किसानों के धान समय पर नहीं बिकने के कारण या तो नष्ट हो गये या फिर मजबुरन बिचौलियों और व्यापारियों को कम दाम में बेचना पड़ रहा है;	खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में दिनांक 31.01.2022 तक 33,265 किसानों से धान क्रय किया गया है। पिछले वर्ष इसी तिथि तक 30,899 किसानों से धान क्रय किया गया था। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 31.01.2022 तक 2366 अधिक किसानों से धान क्रय किया गया। राज्य के सभी जिलों में दिनांक 27.02.2022 तक 77,139 किसानों से 39,55,410.07 (उनचालीस लाख पचपन हजार चार सौ दस दशमलव शून्य सात) क्विंटल धान क्रय किया गया है, जो कुल लक्ष्य का 49.44 प्रतिशत है। धान क्रय की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2022 तक निर्धारित है।
(2) क्या यह बात सही है कि सरकार डेढ़ माह में महज कुल लक्ष्य का मात्र 19.14 प्रतिशत ही धान खरीद पाई है। सही समय पर धान खरीद नहीं होने के कारण किसानों को काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है;	खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है जो दिनांक 31.03.2022 तक निर्धारित है। निर्धारित अवधि तक सभी इच्छुक किसानों से ई–उपार्जन पोर्टल के माध्यम से धान अधिप्राप्ति की जायेगी। दिनांक 27.02.2022 तक 77,139 किसानों से निर्धारित लक्ष्य 80 लाख क्विंटल के विरूद्ध 39,55,410.07 (उनचालीस लाख पचपन हजार चार सौ दस दशमलव शून्य सात) क्विंटल धान क्रय किया गया है, जो कुल लक्ष्य का 49.44 प्रतिशत है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस वर्ष समय पर धान खरीद नहीं होने पर आर्थिक नुकसान सहने वाले किसानों को आर्थिक सहयोग करने एवं सही समय पर धान क्रय करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार ई–उपार्जन पोर्टल के माध्यम से धान विक्रय करने वाले सभी किसानों से धान की अधिप्राप्ति करने हेतु प्रतिबद्ध है।

ह0/–
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–15/2022 629 /राँची, दिनांक 02/03/22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 281, दिनांक 24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

श्री केदार हजरा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष०–15 का उत्तर। 110

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री केदार हजरा, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री बादल, माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के मिर्जागंज–खरगडीहा गौशाला प्रबंधन समिति की स्थापना वर्ष–1922 जिसका निबंधन संयुक्त बिहार में वर्ष–1952 में पंजीयन संख्या–37/1952 तथा झारखण्ड राज्य में पंजीयन संख्या –727/2016 द्वारा निबंधित है?	• आंशिक स्वीकारात्मक। • गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के मिर्जागंज–खरगडीहा गौशाला का स्थापना वर्ष 1922 में होने से संबंधित कोई अभिलेख झारखण्ड गो सेवा आयोग में उपलब्ध नहीं है। अपितु झारखण्ड गो सेवा आयोग अन्तर्गत निबंधन के लिए उक्त गौशाला के प्रबंधन समिति से प्राप्त आवेदन में गौशाला का स्थापना वर्ष 1928 दर्शाया गया है। • सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत उक्त गौशाला का निबंधन संख्या–727, दिनांक–30/12/2016 है। • उक्त गौशाला का झारखण्ड गो सेवा आयोग अन्तर्गत निबंधन संख्या–20/2016–17 है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित गौशाला के निबंधित रहने के बाद भी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सरकारी राशि अनुदान नहीं किया जाता है?	अस्वीकारात्मक। उक्त गौशाला का झारखण्ड गो सेवा आयोग में निबंधित होने के बाद से अनुदान राशि उपलब्ध कराने हेतु कोई आवेदन आज तक प्राप्त नहीं हुआ है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित गौशाला को सरकार द्वारा सरकारी राशि का अनुदान नहीं मिलने के कारण गौशाला प्रबंधन समिति को गौवंश को रखने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है?	अस्वीकारात्मक। इससे संबंधित कोई सूचना झारखण्ड गो सेवा आयोग को सम्प्रति अप्राप्त है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार निबंधित गौशालाओं को सरकारी राशि अनुदान देना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। • झारखण्ड गो सेवा आयोग राँची में निबंधित गौशालाओं को संबंधित गौशालाओं के आधारभूत संरचना के विकास हेतु एवं गौशालाओं में प्राधिकृत स्तर से जब्त कर रखे गए गोवंशीय पशुओं के आहार हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत सहायता अनुदान की राशि सरकार स्तर से उपलब्ध कराया जा रहा है। • पूर्व में भी गो सेवा आयोग में निबंधित गौशालाओं को सरकार स्तर से उनके आवेदन के आधार पर सहायता अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाती रही है एवं वर्तमान में भी गौशालाओं को सहायता अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। • उक्त गौशाला से आवेदन प्राप्त होने पर अनुदान की राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञाप संख्या–6 विविध (वि०स०/तारांकित प्रश्न)(1)–17/2022 प०पा०/ 181 /राँची, दिनांक 28/02/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 433/वि०स० दिनांक 24.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28-2-22

सरकार के उप सचिव

(111)

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 03.02.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-25 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत मनिका विधान सभा क्षेत्र के सभी प्रखण्डों यथा मनिका, बरवाडीह, महुआटांड, गारू लातेहार में पूर्ववर्ती बिहार सरकार द्वारा Lift Irrigation की योजना का निर्माण कराया गया था जिससे क्षेत्र में हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई सुनिश्चित होती थी जो वर्तमान में उपकरणों के जल जाने एवं कैनाल ईत्यादि के मरम्मति के आभाव में बंद है.	स्वीकारात्मक
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सभी प्रखण्डों में ऐसी योजनाओं को चिन्हित करते हुए जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	योजना के लाभुक समिति से विद्युत संयोजन, बिजली बिल का भुगतान, योजना का रख–रखाव एवं संचालन सम्बंधी शपथ पत्र प्राप्त होने के पश्चात् योजनाओं का जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारां०– 68 / 2021 1136 / राँची, दिनांक– 01/03/2022

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–___ दिनांक–_____ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2022

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(112)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 03.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या खा०–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री समीर कुमार मोहन्ती
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री राकेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सिर्फ अन्त्योदय कार्ड धारियों को ही खाद्य आपूर्ति विभाग से चीनी की आपूर्ति की जाती है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में गरीब जनता के लिए PH कार्ड का प्रावधान है लेकिन PH कार्डधारियों को चीनी की आपूर्ति नहीं की जाती है;	स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अन्त्योदय कार्डधारियों की भांति PH कार्डधारियों को भी चीनी की आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चीनी वितरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के मात्र अन्त्योदय कार्डधारियों को एक किलोग्राम चीनी आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के निमित केन्द्र सरकार द्वारा प्रति किलोग्राम रूपये 18.50/– की दर से वितरित चीनी के विरूद्ध सब्सिडी राज्य सरकार को प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक लाभुक (AAY) को प्रतिमाह एक (01) किलोग्राम चीनी अनुदानित दर लगभग 24.00 रूपये (23.50 रूपये) पर उपलब्ध कराया जाता है। विभाग द्वारा e-reverse auction के माध्यम से प्राप्त निविदा दर एवं वर्त्तमान में बाजार दर लगभग समान है। केन्द्र सरकार द्वारा सिर्फ अन्त्योदय अन्न योजना से आच्छादित लाभुकों को ही प्रतिमाह एक किलोग्राम चीनी पर अनुदान (Subsidy) प्रदान किया जाता है तथा केन्द्र सरकार द्वारा चीनी आपूर्ति योजना में PHH कार्डधारियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसलिए राज्य सरकार भी PHH कार्डधारियों को चीनी आपूर्ति करने का विचार नहीं रखती है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–8/2022 (617) /राँची, दिनांक 01/03/22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 457, दिनांक 24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/22
सरकार के अवर सचिव।

श्री भूषण बाड़ा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-ख0-17 का प्रश्नोत्तर।

113

प्रश्नकर्त्ता- श्री भूषण बाड़ा, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-मा0 मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला के पाकरटांड स्थित कोबांग डैम इस क्षेत्र के किसानों के लिए लाईफ लाईन एवं कृषि आय का मुख्य श्रोत है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पाकरटांड प्रखण्ड के गरीब किसानों को खरीफ फसल सब्जी की खेती करने हेतु यदि सरकार अनुदान के रूप में उन्नत खाद्य बीज एवं अन्य लाभकारी संसाधन किसानों को मुहैया कराती है तो निश्चित रूप से कोबांग डैम का पानी किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार सिमडेगा जिला स्थित पाकरटांड प्रखण्ड के गरीब किसानों के हितार्थ सरकारी अनुदान के रूप में उन्नत खाद बीज एवं अन्य लाभकारी संसाधन मुहैया कराने का का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	पाकरटांड प्रखण्ड में सरकारी अनुदान के रूप में उन्नत खाद बीज एवं अन्य लाभकारी संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में (i) बीज विनिमय एवं वितरण योजना अन्तर्गत धान बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर लैम्प्स के माध्यम से 202 किसानों को उपलब्ध कराया गया है। (ii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत 90 प्रतिशत अनुदान पर 14 किसानों को मिनी स्प्रींकलर उपलब्ध कराया गया है। (iii) उद्यान विकास की योजना अन्तर्गत पपीता पौधा 16 किसानों को, सब्जी बीज 79 किसानों को मिर्चा की खेती हेतु बीज 18 किसानों को एवं मशरूम किट 30 किसानों को उपलब्ध कराया गया है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(ता0)-08/2022 428 /कृ0, राँची, दिनांक- 02/03/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-301 दिनांक-24.02.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(ता0)-08/2022 428 /कृ0, राँची, दिनांक- 02/03/2022

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(114)

डॉ० इरफान अंसारी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० –क–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	प्रश्न	माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण का उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के पश्चात् अब तक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है,	अस्वीकारात्मक। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के गठन का कोई प्रावधान नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त बोर्ड की स्थापना नहीं होने के कारण अल्पसंख्यकों के मुद्दे एवं उनके वित्तपोषण का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण अल्पसंख्यकों की स्थिति दयनीय होती जा रही है;	अस्वीकारात्मक। अल्पसंख्यकों के मुद्दों के निराकरण हेतु झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन प्रक्रियाधीन है तथा अल्पसंख्यकों के वित्तपोषण हेतु झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम कार्यरत है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कब तक उक्त बोर्ड एवं निगम के गठन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	क्रमांक–2 में स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक– 05 / वि०स०प्र०–08 / 2022 - 598 राँची, दिनांक– 28/02/2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या –276, दिनांक– 24.02.2022 के प्रसंग में दो सौ (200) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(115)

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– मस–01 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत मोहम्मदगंज प्रखण्ड के 08 पंचायतों में कुल 42 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है ;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि मोहम्मदगंज में प्रखण्ड स्तरीय बाल विकास परियोजना का कार्यालय नहीं होने के कारण यह हुसैनाबाद से संचालित होता है, फलस्वरुप आँगनबाड़ी संचालन तथा लाभुकों को पोषाहार आदि में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिला अन्तर्गत मोहम्मदगंज में प्रखण्ड स्तरीय बाल विकास परियोजना का कार्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. मोहम्मदगंज प्रखण्ड अन्तर्गत 08 पंचायतों में कुल 51 आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। 2. मोहम्मदगंज प्रखण्ड अन्तर्गत आने वाले सभी आंगनबाड़ी केन्द्र बाल विकास परियोजना, हुसैनाबाद के क्षेत्राधीन हैं। इस परियोजना कार्यालय के माध्यम से विभिन्न विभागीय योजनाओं का कार्यान्वयन एवं सभी अर्हताधारियों को नियमानुसार ससमय लाभ प्रदान किया जा रहा है। 3. पलामू जिलान्तर्गत मोहम्मदगंज में बाल विकास परियोजना कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/मा०स०/विधान सभा– 70/2022 –524 राँची, दिनांक : 02-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं०– 73/वि०स० दिनांक–17.02.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/22

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

114 116

श्री इरफान अंसारी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-02 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री इरफान अंसारी, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य गठन के उपरांत भी संथाल परगना क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहयोग संघ का गठन अभी तक नहीं हुआ है, जो हस्त करघा बुनकरों के हित को ध्यान में रखते हुए अत्यावश्यक है;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब संथाल परगना क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहयोग संघ के गठन का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	कार्यालय-निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड का पत्रांक-3002 दिनांक-17.12.2021 के द्वारा निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड, राँची को प्रेषित पत्र में प्रस्तावित संथालपरगना क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लि0, दुमका के निबंधन हेतु मंतव्य देने का अनुरोध किया गया है। मंतव्य प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित संघ का गठन/निबंधन निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची द्वारा की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-04/विधान सभा (अतारांकित)-07/2022 सह0 233 /राँची, दिनांक- 28.02.2022

प्रतिलिपिः-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-283 वि0स0 दिनांक-24.02.2022 के क्रम में 200 चक्रलिखित प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आनन्द कुमार

सरकार के अवर सचिव। 28/02/22

(117)

डा० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि, पलामू जिला अन्तर्गत पांकी विधानसभा क्षेत्र की 90 प्रतिशत जनता कृषि कार्य से जीवन– यापन करने पर आश्रित है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि, समुचित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिकतर किसान आशा अनुरूप फसल नहीं उपजा पाने के कारण व्यवसायिक कृषि से वंचित रह जाते है जिससे उनकी आर्थिक सबलता नहीं हो पाती है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि पांकी विधानसभा क्षेत्र अनतर्गत पिरी, धाको, सोनरे एवं जमुने धार सिंचाई योजनाओं की डी०पी०आर०विभाग के पास प्रस्तावित है, परन्तु आज तक इन महत्वाकांक्षी सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पिरी, धाको, सोनरे एवं जमुने सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर ससमय निर्माण कराकर किसानों को उन्नत कृषि कर फसलों के पैदावार बढ़ाने एवं उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	वर्णित सिंचाई योजनाओं के पुनरूद्धार कार्य (E.R.M)हेतु D.P.R तैयार कराया गया है जिसकी जाँच की जा रही है। जाँचोपरान्त क्षेत्रीय संतुलन एवं बजटीय उपबंध के उपलब्धता के आधार पर इनके कार्यान्वयन पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–05/2022 – 1203 /राँची, दिनांक 01/03/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 308 वि०स० दिनांक 24.02.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ मुख्य अभियंता रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2022

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(118)

श्रीमती डॉ0 नीरा यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछ जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-कृष-18 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्रीमती डॉ0 नीरा यादव, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य अन्तर्गत झारखण्ड राज्य बागवानी मिशन के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख रूप से सब्जियों और मसाले की खेती के लिए सरकार अनुदान देती है, जिसमें मुख्य रूप से मिर्चा, ओल, अदरक तथा फूल की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला में वर्णित योजना से पिछले 4 वर्षों में किसानों को अनुदान नहीं दी गयी है;	अस्वीकारात्मक। राज्य बागवानी मिशन के तहत् अनुदानित दर पर सब्जी, ओल, मिर्चा, अदरख का बीज राष्ट्रीय बीज निगम से प्राप्त कर कृषकों को लक्ष्य के अनुरूप खेती के लिए वितरित किया जाता है, जिसमें जे0एस0एल0पी0एस0 के सखी मंडल को प्राथमिकता दी जाती है। कोडरमा जिला अन्तर्गत उद्यान विकास योजना के तहत् 1052 एवं राज्य बागवानी मिशन योजना में 853 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति उपरोक्त कंडिकाओं में स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(ता0)-05/2022 426 /कृ0, राँची, दिनांक- 02/03/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-432 दिनांक-24.02.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(ता0)-05/2022 426 /कृ0, राँची, दिनांक- 02/03/2022

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोयांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/जोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(119)

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–क–01 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जिला–बोकारो में जिला कल्याण विभाग की ओर से मार्च, 2021 में ही सत्र 2020–21 की राशि निकाल ली गई है, लेकिन विद्यार्थियों के खाते में पैसे नहीं भेजे गए हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जिले में 1560 स्कूलों में कक्षा 1 से 10वीं तक के 60755 विद्यार्थियों के बैंक खातों में डी०बी०टी० स्कॉलरशिप के 7.25 करोड़ रुपये नहीं मिले है, जबकि सारी प्रक्रियाएं 06 माह पूर्व ही हो चुकी है, जिससे अभिभावकगण परेशान हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2020–21 में विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत तथा योग्य छात्र–छात्राओं की जाँच की सतत् प्रक्रिया के साथ ही Aadhar Enabled बैंक खाते में DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु माह जून– 2021 से बैंकों को तीन चरणों में राशि निर्गत किये गये जो निम्न प्रकार है :– निर्गत अवधि / विमुक्त राशि / छात्र संख्या 26.06.2021 / 3,98,64,500 / 35569 30.09.2021 / 2,70,42,750 / 21623 01.10.2021 / 53,66,250 / 2973 योग:– / 7,22,73,500 / 60165
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में सभी विद्यार्थियों के खातों में लंबित स्कॉलरशिप की उक्त राशि जमा करवाते हुए मार्च, 2021 में ही राशि निकालने के बावजूद भी 6 माह से अधिक समय तक भुगतान नहीं करने के लिए संबंधित दोषी पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुनः जिन छात्र/छात्राओं का Aadhar Mapping नहीं रहने के कारण DBT के माध्यम से भुगतान संभव नहीं हो सका उन छात्र/छात्राओं को NEFT के माध्यम से उनके अभिप्रमाणित बैंक खातों में भुगतान कर दी गई है। इस पर सतत् अनुश्रवण करते हुये जिला कल्याण पदाधिकारी को छात्रवृत्ति के नियमानुकूल भुगतान में त्वरित कार्रवाई का निदेश उपायुक्त, बोकारो द्वारा दिया गया है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:– 03/वि०स०(तारांकित)–02/2022– 620 दिनांक– 02/03/2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक– 75, दिनांक– 17.02.2022 के आलोक में दो सौ प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(स्मृता कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

डा० सरफराज अहमद, मा०स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–क–05 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद–275(1) Special Central Assistance to Tribal Sub-Plan (SCA to TSP) तथा Conservation Cum-Development (CCD) योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाएँ यथा तालाब निर्माण, ग्रामीण क्षेत्र में पी०सी०सी० निर्माण आदि योजनाएँ क्रियान्वयन कराने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित योजनाएँ गिरिडीह, धनबाद एवं बोकारो में सही ढंग से संचालित नहीं हो रही है;	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद–275(1), Special Central Assistance to Tribal Sub-Plan (SCA to TSP) तथा Conservation Cum-Development (CCD) योजना अन्तर्गत योजनाएं TSP जिलों में प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत की जाती है। विगत 3 वर्षों में OSP जिलों यथा– गिरिडीह, धनबाद एवं बोकारो जिला अन्तर्गत पी०सी०सी० पथ निर्माण एवं तालाब निर्माण की योजना स्वीकृत नहीं की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गिरिडीह, धनबाद एवं बोकारो में खण्ड–01 में वर्णित योजनाएँ वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांकः– 10 / Article 275(1)-वि०स०प्र०–04 / 2022 - 627 राँची / दिनांक– 02/03/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप संख्या–275, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रशाखा–6 (विधायी कार्य), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(स्मृति कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

(121)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछ जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-कृष-09 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में सिंचाई की उत्तम सुविधा नहीं होने से किसानों को खेती-बाड़ी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसान मजबूरन रोजगार की तलाश हेतु बाहरी राज्यों में पलायन कर रहे है;	अस्वीकारात्मक सिंचाई कार्य हेतु राज्य के सभी जिलों में विगत वर्षों में बंजर भूमि/टाईस फैलो विकास योजनान्तर्गत 6163 सरकारी/निजी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। जलनिधि योजनान्तर्गत 3942 परकोलेशन टैंक का निर्माण एवं 2764 डीप बोरिंग का व्यवस्थापन किया गया है।
2	क्या यह बात सही है सिंचाई को लेकर राज्य सरकार की अपनी कोई कार्यरत योजना नहीं है;	अस्वीकारात्मक वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के सभी जिलों में सिंचाई कार्य हेतु बंजर भूमि/टाईस फैलो विकास योजनान्तर्गत 1262 तालाब जीर्णोद्धार की योजना तथा जलनिधि योजनान्तर्गत 1963 परकोलेशन टैंक निर्माण एवं 1766 डीप बोरिंग की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में सिंचाई की व्यापक व्यवस्था हेतु नई योजना लाने का विचार रखती है, हाँ तो कब नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति उपरोक्त कंडिकाओं में स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(ता0)-11/2022 429 /कृ0, राँची, दिनांक- 02/03/2022
प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-291 दिनांक-24.02.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(ता0)-11/2022 429 /कृ0, राँची, दिनांक- 02/03/2022
प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोयांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/जोहल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(122)

श्री जिगा सुसारन होरो, माठसवि0स0 से प्राप्त दिनांक–03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–क–07 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत अनु0ज0जा0 कॉलेज छात्रावास सिसई का भवन काफी जर्जरावस्था में है तथा छात्रावास में जरूरी कोई भी संसाधन भी नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है खण्ड–01 में वर्णित छात्रावास में अनु0ज0जा0 के विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है लेकिन तदनुसार स्वीकृत पद भी रिक्त है;	वर्णित छात्रावास में कुल– 60 छात्र आवासीत है। उक्त छात्रावास में पूर्व में 02 रसोईया कार्यरत थे, जो सेवानिवृत हो चुके हैं। छात्रावास नियमावली– 2018(अधिसूचना सं0–327 दिनांक–23.01.2018) की कंडिका– 16 (ii) के अनुसार – मेस संचालन की व्यवस्था छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं द्वारा की जायेगी तथा इसके लिए आवश्यक राशि उनके द्वारा समानुपातिक रूप से वहन की जायेगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त छात्रावास का पुनः निर्माण कराने के साथ–साथ सभी संसाधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	छात्रावास के पुनः निर्माण की आवश्यकता नहीं है। छात्रावास के मरम्मति/जिर्णोद्धार हेतु कुल– 52,16,104/– रूपये का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांकः– 10/Article 275(1)-वि0स0प्र0–05/2022 – 619 रांची/दिनांक– 02/03/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप संख्या–277, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रशाखा–6 (विधायी कार्य), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(स्मृति कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

e:\kailash sir\vidhan sabha\shir jigga susharan horo.docx

(128)

श्रीमती ममता देवी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-कृष-21 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्रीमती ममता देवी, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला बने लगभग 14 वर्ष हो गया, किन्तु भूमि संरक्षण का कार्यालय रामगढ़ में नहीं है, भूमि संरक्षण कार्य हेतु रामगढ़ के नागरिकों को हजारीबाग जाना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला में भूमि-संरक्षण के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदस्थापन होने के पश्चात् भूमि-संरक्षण का कार्य रामगढ़ जिला में सुचारू ढंग से हो पायेगा;	आंशिक स्वीकारात्मक। रामगढ़ जिले में भूमि संरक्षण पदाधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है। तथापि भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी, हजारीबाग कार्यालय के द्वारा रामगढ़ जिले में भूमि संरक्षण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भूमि संरक्षण के कार्यालय सहित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को हजारीबाग से रामगढ़ में पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रामगढ़ जिले में भूमि संरक्षण पदाधिकारी के पद की चिन्हितीकरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-06/कृ०रा०ज०स्था०(ता०)-07/2022 433 /कृ०, राँची, दिनांक-02/03/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-435 दिनांक-24.02.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार झा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-06/कृ०रा०ज०स्था०(ता०)-07/2022 433 /कृ०, राँची, दिनांक-02/03/2022

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभारीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(124)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-19 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (झालको) को त्वरित सिंचाई सुविधा मुहैया कराने एवं सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाओं के लिए स्थापित किया गया था;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बहड़गोड़ा विधानसभा क्षेत्र में झालको तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा कई योजनाओं का कियान्वयन किया गया था जिससे स्थानीय किसान काफी लाभान्वित हुए थे;	स्वीकारात्मक लघु सिंचाई विभाग एवं भालको (BHALCO) द्वारा कियान्वयन हुआ था।
3	क्या यह बात सही है कि बहड़गोड़ा विधानसभा क्षेत्र में अधिष्ठापित बहु लाभकारी लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम देख-रेख व रख-रखाव में अभाव में पूरी तरह से नष्ट हो चुके है;	स्वीकारात्मक
4	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त लिफ्ट इरिगेशन की योजनाओं का पुनरूद्धार करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक नहीं तो क्यों ?	योजना के लाभुक समिति से बिजली बिल का भुगतान, योजना का रख-रखाव एवं संचालन सम्बधी शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात सर्वेक्षणोपरान्त लाभ लागत एवं तकनीकी संभाव्यता के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-ता०प्र०- 68/2021 1197 / राँची, दिनांक- 01/03/2022

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-__ दिनांक-___ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2022

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

D:\Droid\My documents\2021-22\Vidhan sabha FEB_March_2022\SAMIR KUMAR MOHANTI_19.docx

(125)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– मस–05 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार साल 2020–21 की रिपोर्ट में झारखण्ड में बाल विवाह के 32.2 फीसदी मामले दर्ज किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि गोड्डा सहित पूरे राज्य में बाल विवाह रोकथाम के लिए कोई भी योजना संचालित नहीं है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बाल विवाह रोकने की कोई योजना संचालित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	i. बाल विवाह कुप्रथा की रोकथाम एवं उन्मूलन हेतु राज्य सरकार अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना एवं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का संचालन कर रही है, जिसके माध्यम से बाल विवाह प्रथा का अन्त हेतु प्रयासरत है। ii. राज्य सरकार द्वारा बाल विकास कुप्रथा की रोकथाम हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी के रुप में अधिसूचित किया गया है, जिनके माध्यम से इस कुप्रथा की रोकथाम हेतु समुचित प्रयास एवं निरन्तर अनुश्रवण किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/मo सo/विधान सभा– 89/2022 – 525 राँची, दिनांक : 02-03-2022

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं0–272/वि0स0 दिनांक–24.02.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/22

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

(126)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या- कृष-01 हेतु उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय सदस्य वि0स0	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि वर्तमान में झारखण्ड राज्य में मछुआ आयोग का गठन नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि मछुआ आयोग गठन नहीं होने से मछुआ समाज का विकास कार्य बाधित हो रहा है;	अस्वीकारात्मक है। राज्य के बेरोजगार युवाएँ, महिलाएँ, ग्रामीण एवं विस्थापित जनता जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न मात्स्यिकी गतिविधियों से तेजी से जुड़ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा मात्स्यिकी गतिविधियों से संबद्ध मछुआरों, मत्स्य पालकों, मत्स्य कृषकों के बहुमुखी विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रण किया जा रहा है। मात्स्यिकी प्रभाग के योजना आकार में सतत् वृद्धि हो रहा है -

वित्तीय वर्ष	योजना कार्यों का उदव्यय (करोड़ रू0 में)	वित्तीय उपलब्धि (करोड़ रू0 में)
2010-11	25.00	19.40
2020-21	73.81	66.36
2021-22	143.71	45.13 (बालू माह फरवरी, 2022 तक)

विभिन्न मात्स्यिकी गतिविधि से संबद्ध मछुआरों/ मत्स्य कृषकों के आर्थिक विकास के दृष्टिपथ नवीन वैज्ञानिक पद्धति से अधिक पैदावार मछली पालन तथा सुगम परिवहन, प्रसंस्करण, विपणन संबंधी आवश्यकताओं के दृष्टिपथ कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं का विवरण निम्नरूपेण है -

1. **मछली बीज उत्पादन -**
- मछुआरों/ मत्स्य कृषकों को मछली बीज उत्पादन का तकनीकी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा मत्स्य बीज के उत्पादन हेतु अनुदान पर अधिक पैदावार किस्म की मछलियों का मिश्रित बीज (स्पॉन), मछली आहार एवं जाल उपलब्ध कराया जाता है।
- विभागीय प्रक्षेत्रों में उत्पादित मत्स्य बीज (फार्इ) अनुदानित दर- मो0 100/-रू0 प्रति हजार रू0 की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
- पोर्टेबल मत्स्य बीज हैचरियों का अधिष्ठापन सदाबहार जलकरों के समीप किया गया है। स्थानीय मछुआरों/मत्स्य कृषकों द्वारा इन हैचरियों का संचालन कर मत्स्य स्पॉन उत्पादन हेतु सहायता प्रदान किया जाता है।

2. **मछली उत्पादन -**
- मछुआरों/मत्स्य कृषकों द्वारा स्वयं उनके निजी जमीन में नए नर्सरी, रियरिंग तथा ग्रो-आउट तालाब, आर0ए0एस0 के निर्माण कार्य के लिए अनुदान दिया जाता है।
- जलाशय के विस्थापित मछुआरों/मत्स्य कृषकों द्वारा जलाशय में केज कल्चर हेतु केज निर्माण/केज में मछली पालन के लिए मत्स्य बीज एवं फीड के क्रय के लिए अनुदान दिया जा रहा है।
- जलाशय/नदी के समीप मछुआरों/मत्स्य कृषकों का स्वैच्छिक समूह गठन कराते हुए पेन कल्चर की तर्ज पर आर0एफ0ए0एस0 (Riverine Fish Farming) का निर्माण एवं उनमें मछली पालन हेतु अनुदान दिया जाता है।

	• जलाशय में शिकारमाही पर आश्रित मछुआरों/मत्स्य कृषकों के जीविकोपार्जन हेतु मत्स्य बीज (अंगुलिकाओं) का संवधन (stock enhancement) किया जाता है। • आहार आधारित मात्स्यिकी से मछली की अधिक पैदावार का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मछुआरों/मत्स्य कृषकों के लिए अनुदान पर फ्लोटिंग फीड दिया जाता है। समेकित मत्स्य पालन (मछली सह बत्तख पालन) हेतु अनुदान। 3. **मत्स्य परिवहन, प्रसंस्करण एवं विपणन -** • खुदरा/थोक मछली विक्रेताओं की सुविधा हेतु मछली बिक्री बाजार का निर्माण कराया जा रहा है। • खुदरा मछली विक्रेताओं को मछली बिक्री हेतु कियोस्क, स्टॉल, ठेला, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, आईस बॉक्स, मोटरसाईकल, बाईसिकल, नाव/लाईफ जैकेट, मोटर-चालित नाव, मछली प्रसंकरण के उपकरण के क्रय हेतु अनुदान दिया जाता है। 4. **आवास निर्माण एवं दुर्घटना बीमा -** • मछुआरों/ मत्स्य कृषकों के समाजिक विकास के दृष्टिपथ एवं स्वच्छ परिवेश के उद्देश्य से पक्का आवास निर्माण हेतु वेद व्यास आवास योजना से अनुदान दिया जाता है। • मछुआरें/ मत्स्य कृषक विषम परिस्थिति में कार्य करते हैं। इसलिए केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से नि:शुल्क आकस्मिक दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया जाता है। 5. राज्य में मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की शीर्ष संस्था के रूप में **झारखण्ड राज्य मत्स्य सहकारी संघ** वर्ष 2011 में गठित एवं कार्यरत है। यह संघ राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्य मछुआरों/ मत्स्य कृषकों के कल्याण एवं विकास के लिए कार्य करता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मछुआ आयोग का गठन करते हुए झारखण्ड राज्य के प्रत्येक जिले में मत्स्य शिकायत कोषांग खुलवाने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नही तो क्यों?	अस्वीकारात्मक है। कंडिका-02 में उल्लेखित विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं के दृष्टिपथ राज्य में "मछुआरा आयोग" के गठन की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञाप संख्या:-6 विविध (विoसo/तारांकित प्रश्न)(1)-15/2022 पoपाo/....180.............. /राँची, दिनांक 28/02/22

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 280/विoसo दिनांक 24.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.2.22

सरकार के उप सचिव

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा-14 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि कोरोना महामारी के दौरान गरीब और मध्यम परिवार के लोगों के जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिले के नगर परिषद क्षेत्र वासियों को पूर्व में बिजली बिल रू० 2-रूपये प्रति यूनिट की दर से देय था जो वर्तमान में प्रति यूनिट दर को बढ़ाकर रू० 2 से रू० 6 कर दिया गया है जिसका स्थानीय निवासी पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं;	अस्वीकारात्मक। (विवरण नीचे)

अस्वीकारात्मक।

रामगढ़ जिले के नगर परिषद क्षेत्रवासियों का विद्युत मद में विपत्रीकरण झारखण्ड राज्य नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ एवं राज्य सरकार द्वारा विपत्र में दिये जाने वाले सब्सिडी के आलोक में किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नांकित है:-

श्रेणी	स्लैब	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए प्रभावी टैरिफ		वित्त वर्ष 2016-17 के लिए प्रभावी टैरिफ	
		Energy Charges (Rs./Kwh)	Fixed Charges (Rs./Conn./month)	Energy Charges (Rs./Kwh)	Fixed Charges (Rs./Conn./month)
घरेलू शहरी	0-200 units	2.60	45	3.00	50
	200 and Above Units	3.10	65	3.60	80

श्रेणी	स्लैब	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्वीकृत टैरिफ		सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रभावी टैरिफ	
		Energy Charges (Rs./Kwh)	Fixed Charges (Rs./Conn./month)	Energy Charges (Rs./Kwh)	Energy Charges (Rs./Kwh)	Fixed Charges (Rs./Conn./month)
घरेलू शहरी	0-200 units	5.50	75	2.25	3.25	75
	201-500 units			1.50	4.00	
	501-800 units			1.25	4.25	
	Above 800 Units			0.50	5.00	

श्रेणी	स्लैब	वित्त वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए स्वीकृत टैरिफ		सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी	वित्त वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए प्रभावी टैरिफ	
		Energy Charges (Rs./Kwh)	Fixed Charges (Rs./Conn./month)	Energy Charges (Rs./Kwh)	Energy Charges (Rs./Kwh)	Fixed Charges (Rs./Conn./month)
घरेलू शहरी	0-200 units	6.25	75	2.75	3.50	75
	201-500 units			2.05	4.20	
	501-800 units			1.85	4.40	
	Above 800 Units			1.00	5.25	

वर्ष 2018-19 के पूर्व झारखण्ड राज्य नियामक आयोग द्वारा घरेलू टैरिफ का निर्धारण सब्सिडाइज दर पर ही किया जाता था। वर्ष 2018-19 से घरेलू टैरिफ का निर्धारण सब्सिडाइज दर पर नहीं किया गया, जबकि उक्त टैरिफ में राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी के उपरांत उपभोक्ताओं के लिए देय प्रभावी दर में बहुत कम तुलनात्मक वृद्धि हुई है।

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रामगढ़ जिला के नगर परिषद क्षेत्र में बिजली बिल की दर रू० 2 प्रति यूनिट को पूर्व की तरह यथावत चने रहने देने पर विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं का विद्युत विपत्रीकरण, झारखण्ड राज्य नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ एवं राज्य सरकार द्वारा विपत्र में दिये जाने वाले सब्सिडी के आलोक में किया जाता है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 394 / दिनांक 2/3/22

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

128

श्री विकास कुमार मुण्डा,मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-खूप-19 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता- श्री विकास कुमार मुण्डा,मा०स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि तमाड़ विधानसभा के तमाड़ प्रखण्ड में कृषि उत्पादन बाजार समिति, खूँटी द्वारा निर्मित दुकानों को सामान समेत सील कर दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। तमाड़ प्रखण्ड स्थित बाजार समिति, खूँटी द्वारा निर्मित एवं आवंटित दुकान का आवंटी अथवा दुकानदारों द्वारा दुकान का किराया बहुत लम्बे समय से जमा नहीं किया जा रहा था। किराया जमा करने के संबंध में बाजार समिति कार्यालय द्वारा कई बार आवंटियों को मांग पत्र भेजा गया किन्तु आवंटियों के द्वारा किराया जमा करने में अभिरुचि नहीं दिखाई गई। निरीक्षण के दौरान किन्ही व्यापारियों अथवा व्यक्तियों को दुकान में कारोबार करते पाया गया उनकी पहचान गैर-आवंटी के रूप में की गई। अर्थात दुकान जिस व्यक्ति के नाम से आवंटित है, उनके द्वारा दुकान को भाड़े पर लगा दिया गया है। आवंटियों का उक्त कृत्य नियम विरुद्ध रहने के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-विशेष पदाधिकारी, बाजार समिति, खूँटी की अध्यक्षता में समिति से संकल्प पारित कर चिन्हित आवंटियों के दुकान के आवंटन को रद्द करते हुए सभी 11 (ग्यारह) गैर-आवंटियों को जिनके द्वारा दुकान में नियम-विरुद्ध व्यापार किया जा रहा था, को बाजार समिति, खूँटी के द्वारा दुकान खाली करने का आदेश दिया गया था। जिसके अनुपालन में सभी दुकानदारों द्वारा स्वयं से दुकानों में ताला लगाकर दुकान की चाबी बाजार समिति, खूँटी में जमा किया गया है। बाजार समिति, खूँटी के द्वारा सामानों के साथ दुकानों को सील नहीं किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि मेरे द्वारा प्रधान सचिव, प्रबंध निदेशक को लगभग पत्राचार करने के बावजूद उक्त दुकानों की पुनर्आवंटन नहीं की गयी है जिससे वहाँ वर्षों से कार्यरत दुकानदार बेरोजगार हो गए हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त सभी बन्द दुकानों के पुनर्आवंटन की स्वीकृति आदेश के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, बाजार समिति, खूँटी से पत्र प्राप्त है। उक्त आलोक में पर्षदीय स्तर से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए उक्त दुकानों को पुनर्आवंटन का इरादा रखती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों ?	दुकानों के पुनर्आवंटन हेतु बोर्ड एवं कृषि उत्पादन बाजार समिति, खूँटी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-7/कृ०वि०प०(वि०स०)-01/2022 430 /कृ०, राँची, दिनांक- 03/03/2022

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-438 दिनांक-24.02.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विकास चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/कृ०वि०प०(वि०स०)-01/2022 430 /कृ०, राँची, दिनांक- 03/03/2022

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभारीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(129)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 03.03.2022 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-09 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत टुंडी विधनसभा के तहत बाघमारा प्रखण्ड के ग्राम–बड़की बौआ में बड़ा तालाब एवं तोपचाँची प्रखण्ड के ग्राम–सिंगदाहा हरिजन टोला में बड़ा तालाब स्थित है, जिससे हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई एवं आस–पास के ग्राम के ग्रामीण रोजमर्रा का कार्य करते हैं,	आंशिक स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों तालाबों में कई वर्षों से मरम्मति/जीर्णोद्धार नहीं होने से तालाब में गाद, जंगली पेड़/पौधे तथा मिट्टी भर जाने से जल जमाव नहीं हो पा रहा है,	स्वीकारात्मक
	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड– (1) में वर्णित दोनों तालाबों का मरम्मति/जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तोपचाँची प्रखण्ड के ग्राम सिंगदाहा हरिजन टोला में बड़ा तालाब एवं बाघमारा प्रखण्ड के ग्राम–बड़की बौआ में बड़ा तालाब से संबंधित जमीन की प्रकृति (सरकारी/निजी) की जानकारी प्रदान करने हेतु अंचलाधिकारी तोपचाँची एवं बाघमारा से अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां0– 68/2021 1205 / राँची, दिनांक– 01/03/22

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–___ दिनांक–_____ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कौंके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(130)

श्री संजीव सरदार, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–क०–12 की उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि विभाग के ज्ञापांक–2151, दिनांक–15.07.2015 के आधार पर विभाग द्वारा संचालित 143 आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत Service Procurement के आधार पर अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है;;	आंशिक स्वीकारात्मक। 105 आवासीय विद्यालयों में अंशकालीन (घंटी आधारित) शिक्षकों की सेवा बिल्कुल तत्कालिक व्यवस्था के तहत नियमित नियुक्ति होने तक सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर ली जा रही है।
2	क्या यह बात सही है नियुक्त अस्थायी अंशकालिक शिक्षकों को बहुत ही कम वेतनमान/मानदेय दिया जा रहा है, जिसकारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। संकल्प संख्या–2151, दिनांक–15.07.2015 की कंडिका–7(i) के अनुसार अंशकालीन शिक्षकों से सप्ताह में 05 (पाँच) कार्यदिवस, एक कार्यदिवस में अधिकतम 04 (चार) घंटी कार्य लेने एवं प्रति घंटी अध्यापन कार्य के विरूद्ध ₹200/- वृतिका भुगतान का प्रावधान है। इस आधार पर यदि किसी अंशकालीन (घंटी आधारित) शिक्षक के द्वारा एक दिन में चार घंटी अध्यापन कार्य किया जाता है, तो उसे, उस दिन के लिए कुल ₹800/- भुगतेय होगा। अंशकालीन (घंटी आधारित) शिक्षकों के लिए वेतनमान/मानदेय निर्धारित नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार नियुक्त अंशकालिक शिक्षकों के वेतनमान/मानदेय बढ़ाते हुए उनके स्थायीकरण/समायोजन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प संख्या–2151, दिनांक–15.07.2015 की कंडिका–6 में स्पष्ट प्रावधान है कि सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन (घंटी आधारित) शिक्षकों से सेवा प्राप्त करने की व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी है इसपर भविष्य में किसी भी स्थायीकरण अथवा अन्य प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–02/वि० स०–05/2021–क– 622 राँची, दिनांक– 02/03/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–449, दिनांक–24.02.2022 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(131)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 03.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या कृष–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री सुदिव्य कुमार
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उरॉंव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में राईस मिल नहीं है जिसके कारण वहाँ के किसानों को काफी परेशानी होती है;	जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा किये गये संबद्धता के अनुसार गिरिडीह जिलान्तर्गत क्रय किये गये धान के मिलिंग हेतु खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में गिरिडीह में स्थित 03 मिल एवं हजारीबाग एवं धनबाद में स्थित 03 राईस मिल यानि कुल 06 राईस मिलों को सम्बद्ध किया गया है। गिरिडीह जिलान्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में 65,014.4 मे०टन धान का क्रय किया गया था, जो पूरे राज्य में अधिप्राप्ति में तीसरा स्थाना था। अधिप्राप्त किये गये सम्पूर्ण धान का शतप्रतिशत मिलिंग का कार्य संबद्ध मिलों द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में दिनांक 26.02.2022 तक निर्धारित लक्ष्य 80,000 मे०टन के विरूद्ध गिरिडीह जिलान्तर्गत 47504.2 मे०टन धान क्रय किया गया है, जो पूरे राज्य में अधिप्राप्ति में दूसरे स्थान पर है।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गिरिडीह जिला में सोलर आधारित राईस मिल खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में गिरिडीह जिला में कार्यरत मिलों द्वारा जिले में अधिप्राप्त किये गये धान के मिलिंग का कार्य स–समय किया जा रहा है तथापि जिले में अतिरिक्त मिलिंग क्षमता में वृद्धि के संबंध में उद्योग विभाग, झारखण्ड द्वारा जमुआ एवं बगोदर अंचल में मिल की स्थापना हेतु 03–03 एकड़ भूमि जियाडा को हस्तांतरित कर दी गई है एवं भू–आवंटन करने हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया का भी प्रकाशन किया गया है।

ह0/–
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–13/2022 618 /राँची, दिनांक 01/03/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–283, दिनांक 24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

(132)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

माननीय श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स०, द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज.–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लघु सिंचाई मद में वित्तीय वर्ष 2018–19 में 404.10 करोड़, 2019–20 में 255.65 करोड़, 2020–21 में 101.20 करोड़ 2021–22 में 94.76 करोड़ का आवंटन जारी किया गया है;	स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 में लघु सिंचाई प्रक्षेत्रान्तर्गत बजट उपबंध क्रमशः रू. 404.10 करोड़, रू. 255.65 करोड़, रू. 101.20 करोड़ तथा रू. 94.76 करोड़ के विरूद्ध क्रमशः रू. 393.11 करोड़, रू. 191.19 करोड़, रू. 95.65 करोड़ एवं रू. 25.32 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–22 में आवंटन घटाया जाता रहा है जिसके कारण लघु सिंचाई की महत्वपूर्ण योजनाएँ स्वीकृत नही हो पा रही है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक निर्धारित उद्व्यय के आलोक में बजटीय उपबंध किया जाता रहा है एवं बजटीय उपबंध के आलोक में लघु सिंचाई की महत्त्वपूर्ण योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लघु सिंचाई के योजनाओं को धरातल पर उतारने हेतु 1000.00 करोड़ का आवंटन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु योजना एवं विकास विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग के लिए निर्धारित योजना उद्व्यय के अन्तर्गत लघु सिंचाई प्रक्षेत्र के लिए रू. 306.20 करोड़ का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–15/2022– 1198 /राँची, दिनांक 1/03/2022

प्रतिलिपि :– (1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–300 वि०स० दिनांक 24.02.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख– II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6/7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2022

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(133)

श्री संजीव सरदार, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-23 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री संजीव सरदार, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत डुमरिया प्रखण्ड विशुद्ध रुप से कृषि प्रधान क्षेत्र है और जहाँ के अधिकांश लोग आजीविका हेतु कृषि पर ही निर्भर है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कृषि प्रधान क्षेत्र होने के बावजूद भी आजतक उक्त क्षेत्र में एक भी कोल्ड-स्टोरेज नहीं है जिसके अभाव में कृषकों को औने-पौने दामों में अपनी फसल को बेच देना पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पोटका प्रखण्डान्तर्गत डुमरिया प्रखण्ड के बॉकीसोल पंचायत के बॉकीसोल गाँव के टोला बाकुलचंदा में एक उच्च तकनीकी कोल्ड-स्टोरेज निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में 5000 एम0टी0 क्षमता के एक-एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। जिसके तहत् पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत पटमदा प्रखण्ड में 5000 एम0टी0 क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया गया है। साथ ही राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में 30 एम0टी0 क्षमता के एक-एक कोल्ड रुम का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। जिसके तहत् पूर्वी सिंहभूम जिला के अन्तर्गत घाटशिला, बाकुलिया, पटमदा, पोटका, मुसाबनी एवं बहरागोड़ा प्रखण्ड में 30 एम0टी0 क्षमता के कोल्ड रुम का निर्माण किया गया है। मुसाबनी प्रखण्ड को छोड़कर अन्य प्रखण्डों में निर्मित कोल्ड रुम संबंधित लैम्पस को हस्तांतरित कर दिया गया है। राज्य के सुदूर गाँव, जहाँ विद्युतीकरण का अभाव है तथा बिजली की अनियमितता रहती है वैसे गाँव के स्थानीय हाट/बाजार के आस-पास उपयुक्त स्थानों में सौर उर्जा संचालित 05 एम0टी0 क्षमता के इको फ्रेन्डली मिनी कोल्ड रुम का अधिष्ठापन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसके तहत् वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत बोड़ाम, मुसाबनी एवं बहरागोड़ा प्रखण्ड में मिनी कोल्ड के अधिष्ठापन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

230
28.02.2022

(कृ० पृ० उ०)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-03/बजट सह0 (विधान सभा)-08/2022-230 /राँची, दिनांक-28.02.2022

प्रतिलिपि-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-436 वि0स0 दिनांक-24.02.2022 के क्रम में 200 चत्रलिखित प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/2022

सरकार के अवर सचिव।

(134) (134)

श्री मंगल कालिन्दी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– क०–06 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला में विगत् 6–7 महीनों से वृद्धा, विधवा एवं विकलांगो का पेंशन का भुगतान लंबित है ;	अस्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित पेंशन का भुगतान लाभुकों को करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनधारियों को माह जनवरी, 2022 तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत सम्मिलित पेंशनधारियों को माह फरवरी, 2022 तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अधीन वृद्धावस्था पेंशन का माह जनवरी, 2022 तक भुगतान किया जा चुका है। माह फरवरी, 2022 का भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शेष सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत माह फरवरी, 2022 तक का पेंशन भुगतान किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म०स०/विधान सभा– 92/2022 – 513 रॉंची, दिनांक : 02-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को उनके पत्र सं०– 274/वि०स० दिनांक–24.02.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.22

(अरशद जमील)

सरकार के अवर सचिव।

135

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०-कृष-10 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री अमित कुमार यादव माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग के आत्मा परियोजना अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में कृषक मित्र, सहायक तकनीकी प्रबंधक, प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक आदि पदों पर कार्यरत कर्मियों का मानदेय विगत 6 माह से बकाया है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इनकी सेवा अत्यंत ही संतोषप्रद होने के बावजूद इनके सेवा शर्त तथा मातृत्व अवकाश, मानदेय वृद्धि, 60 वर्ष तक सेवा का सुनिश्चितीकरण हेतु अब तक कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गयी है;	• मातृत्व अवकाश संबंधी मामला प्रक्रियाधीन है। आगामी आई०डी०डब्लू०जी० की बैठक में पारित कराकर कार्रवाई की जायेगी। • आत्मा के तहत संविदा पर नियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों के मानदेय वृद्धि का निर्धारण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाता है। • आत्मा अंतर्गत संविदा पर नियुक्त कर्मियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन उपरांत संबंधित समिति द्वारा सेवा विस्तार दिया जाता है। परियोजना शर्त के अनुसार योजना अवधि तक कार्य लिये जाने का निदेश है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में इनके लंबित मानदेय का भुगतान अविलंब करते हुए सेवा शर्त का गठन करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सभी जिलों को द्वितीय किस्त की राशि माह जनवरी, 2022 में उपलब्ध करा दी गयी है। भारत सरकार के द्वारा तृतीय किस्त विमुक्त किया गया है, जिसके समानुपातिक राज्यांश सहित राशि सभी जिलों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-04/कृ०वि०स०(प्रा०)-13/2022 432 /कृ०, राँची, दिनांक- 02/03/2022

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-286 दिनांक-24.02.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राघवेन्द्र झा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ०वि०स०(प्रा०)-13/2022 432 /कृ०, राँची, दिनांक- 02/03/2022

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभारीय प्रशाखा-9 (विधानी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(136)

श्री दिनेश विलियम मरांडी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–13 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री दिनेश विलियम मरांडी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के हिरणपुर प्रखण्ड के हिरणपुर बाजार में बिजली के खम्भों से हटे हुए बिजली के तार बाजार के बीचों बीच लटका हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। पाकुड़ जिला के हिरणपुर प्रखण्ड के हिरणपुर बाजार के खम्भों से हटे हुए बिजली के 11 हजार लाईन को दुरूस्त किया गया है एवं एल०टी० लाईन को दुरूस्त करने के लिए RDSS Scheme के तहत् प्रस्तावित है
2. क्या यह बात सही है कि आए दिन ये बिजली के तार अचानक टूटकर गिर जाते हैं, जिसके कारण दुर्घटना हो जाती है और जान-माल का क्षति हो जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। मौसम खराब एवं सामग्री में दोष होने की परिस्थिति में तार टूटने की संभावना बनी रहती है।
3. क्या यह बात सही है कि अगर इन बिजली के तारों को Underground कर दिया जाय तो दुर्घटना एवं जान-माल के क्षति से बचा जा सकता है;	वित्तीय उपलब्धता के आधार पर आवश्यक कार्य का संपादन किया जाता रहा है और आगे Underground Cabling का कार्य भी वित्तीय उपलब्धता के आधार पर कराई जायेगी।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पाकुड़ जिला के हिरणपुर प्रखण्ड के हिरणपुर बाजार का Underground केबलिंग कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय उपलब्धता के आधार पर आवश्यक कार्य का संपादन किया जाता रहा है और आगे Underground Cabling का कार्य भी वित्तीय उपलब्धता के आधार पर कराई जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 401 / दिनांक 02/03/22

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(137)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–10 की उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला अन्तर्गत अविभाजित बिहार के समय से ही देवघर कॉलेज में अम्बेडकर अनुसूचित कल्याण छात्रावास अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त छात्रावास में अनुसूचित जाति के 50–50 की संख्या में अवैध रूप से छात्रावास में कब्जा हुए हैं और ये सभी छात्र मूल रूप से बिहार राज्य के रहने वाले हैं;	50 शैय्या का छात्रावास है। 30 छात्र बिहार राज्य के रहने वाले थे।
3	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के गरीब अनुसूचित जाति के छात्राओं के उक्त छात्रावास में जगह खाली नहीं रहने के कारण छात्रावास में नहीं रह पाते हैं;	स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि कॉलेज में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्राओं द्वारा कल्याण विभाग समेत उपायुक्त, देवघर को अवैध रूप से कब्जा कर रहे बाहरी लोगों को निकालने की मांग करते आ रहे हैं;	स्वीकारात्मक।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अवैध रूप से कब्जा किये बाहरी (बिहार राज्य) के लोगों को चिन्हित करते हुए छात्रावास से निकालने के साथ देवघर कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों को छात्रावास में जगह दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	जनवरी, 2022 में छात्रावास खाली करा दिया गया है। वर्तमान में झारखण्ड राज्य के कुल 50 अनुसूचित जाति के छात्र रह रहे हैं।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–02/वि० स०–02/2022–क– 625 राँची, दिनांक– 02/03/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–448, दिनांक–24.02.2022 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(138)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा-04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर में वर्तमान विद्युत उपकेन्द्र अत्यंत संकीर्ण है, जहाँ न तो नियंत्रण कक्ष है और न ही अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का जगह है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि उक्त उपकेन्द्र में जला ट्रांसफार्मर परिवर्तन में भी असुविधा होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बगोदर प्रखण्ड मुख्यालय में एक नया विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	माननीय द्वारा निर्देशित बगोदर प्रखण्ड में वर्तमान विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के अतिरिक्त DDUGJY योजना के तहत् औरा जो बगोदर प्रखण्ड से लगभग 10 किमी० की दूरी पर है, बन कर तैयार है एवं उससे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। JSBAY Phase -II के तहत् खम्भरा एवं अटका मुनरो में भी एक-एक अदद् P/S/S का निर्माण हो चुका है। खम्भरा P/S/S से विद्युत आपूर्ति की जा रही है एवं अटका मुनरो P/S/S से विद्युत आपूर्ति 10 से 12 दिनों में होने लगेगी। वर्तमान में बगोदर के विद्युत शक्ति उपकेन्द्र से 2x5 MVA Power Transfromer से 2 से 3 MVA Power ही आपूर्ति की जा रही है। इसलिए अब अतिरिक्त P/S/S की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 400 / दिनांक 02/03/22

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(139)

श्री केदार हजरा, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–कृष–13 का उत्तर सामग्री प्रतिवेदन के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री केदार हजरा, माननीय स०वि०स०	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के निर्जागंज–खरगडीहा गौशाला में वर्ष 2019 में ही सरकार द्वारा दूध प्रोसेसिंग प्लान्ट का निर्माण की स्वीकृति तथा शिलान्यास किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रोसेसिंग प्लान्ट का कार्य स्वीकृति के 3–वर्ष हो जाने के बाद भी अबतक सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकरियों के उदासीन रवैया के कारण उसे प्रारम्भ नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। नई डेयरी निर्माण हेतु न्यूनतम 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जिसमें केवल 3.33 एकड़ जमीन उपलब्ध हो पाने के कारण डेयरी निर्माण हेतु नई जमीन की तलाश की जा रही है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंधकीय नियंत्रण में संचालित झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 के लिए समर्पित 05 वर्षीय झारखण्ड डेयरी डेवलपमेंट प्लान अन्तर्गत गिरिडीह में डेयरी प्लान्ट की स्थापना प्रस्तावित है।
3	क्या यह बात सही है कि प्रोसेसिंग प्लान्ट का कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण स्थानीय कृषकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। दूध उत्पादकों का दूध संग्रहण एवं उसके लिए भुगतान निम्नलिखित 08 दुग्ध संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है निर्जागंज, कांडीडीह, डाण्डीटाढ़, शीतलपुर, पथरोडीह, लक्खीभागो, दुकदुको एवं निर्जाटाढ़।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए निहित स्थान पर अविलम्ब दूध प्रोसेसिंग प्लान्ट का कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंधकीय नियंत्रण में संचालित झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 के लिए समर्पित 5 वर्षीय झारखण्ड डेयरी डेवलपमेंट प्लान अन्तर्गत गिरिडीह में डेयरी प्लान्ट की स्थापना प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 05/2022 प०पा० 183 - राँची, दिनांक 28.02.2022

प्रतिलिपि –अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 437 दिनांक 24.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.22
(शिव कुमार केडिया)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 05/2022 प०पा० 183 - राँची, दिनांक 28.02.2022

प्रतिलिपि – अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, (विधायी शाखा, पशुपालन प्रभाग) को उनके ज्ञापांक 175 दिनांक 25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.22
सरकार के अवर सचिव

(140)

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–16 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि तमाड़ प्रखण्ड के मानकीडीह, बुढ़ाडीह, दुआरसिनी चौक इत्यादि, बुण्डू प्रखण्ड के बांसकुड़ी, आरांडीह, चुरगी, मुर्गीडीह इत्यादि एवं अड़की प्रखण्ड के कोचांग कैंप, तुसुंगा, कोचांग मोड़ इत्यादि में महीनों से ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं, जहाँ महीनों पूर्व मेरे द्वारा पवाचार करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है;	अस्वीकारात्मक है। तमाड़ विधान सभा के दुआरसिनी चौक, अड़की प्रखण्ड के कोचांग कैंप, तुसुंगा, बुंडु प्रखण्ड के बासकुडीह के ट्रान्सफार्मर को जनवरी माह में ही बदला अथवा बनाया जा चुका है। उपरोक्त के अलावे तमाड़ प्रखण्ड के मानकीडीह, बुढ़ाडीह, बुंडु प्रखण्ड के आरांडीह, चुरगी, मुर्गीडीह एवं अड़की प्रखण्ड के कोचांग मोड़ का भी खराब ट्रान्सफार्मर बदल दिया गया है। उपरोक्त वर्णित सभी स्थानों में बिजली आपूर्ति चालू है।
2. क्या यह बात सही है कि खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिस कारण ट्रांसफार्मर के अभाव में लोग महीनों तक अंधेरों में रहने को मजबूर हो जाते हैं;	ट्रान्सफार्मर खराब/ जलने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्राथमिकता के आधार पर इसे बदला अथवा मरम्मत किया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या विभाग दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए समय सीमा को निर्धारित कर सभी खराब ट्रांसफार्मर को यथाशीघ्र बदलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 395 / दिनांक 02/3/22

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(141)

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि, गोड्डा जिलान्तर्गत प्रखंड–गोड्डा के पंचायत – ढोढ़री ग्राम– सौरपचिसा (चीर नदी), प्रखंड– गोड्डा के कछिया नदी के ग्राम– सैदापुर में एवं पंचायत– कोरका (प्रखंड–पथरगामा) के ग्राम–सिमरिया कछिया नदी के बाढ़ के कारण वर्षा मौसम में किसानों के खेती योग्य भूमि एवं वसोवास घर कटाव से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे उक्त पिछड़े जाति को प्रति वर्ष आर्थिक क्षति हो रही है, जिससे इनकी माली हालत खराब होते जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(एक) के आलोक में क्षेत्रीय बाढ़ निरोधक समिति (R.A.C)) ने उक्त स्थलों का निरीक्षण नहीं किया है, जिस कारण (T.A.C) को जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण योजनाओं की स्वीकृति अबतक नहीं हो पायी है ;	अस्वीकारात्मक। उक्त स्थलों का दिनांक–29.12.2021 को क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें योजना को Wait and watch मे रखा गया।
3.	क्या यह बात सही है कि यदि जल्द से जल्द उक्त योजनाओं की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है तो खेती योग्य भूमि के साथ वसोवास घर नदी में समा जायेगी;	वर्तमान में स्थिति संवेदनशील नहीं है, इस लिए क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति द्वारा Wait and watch में रखा गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (एक) के आलोक में खेती योग्य किसानों की भूमि एवं वसोवास घर को बचाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक,नहीं तो क्यों?	आगामी वित्तीय वर्ष में पुनः क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के स्थल निरीक्षणोपरान्त प्राप्त प्रस्ताव पर तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) एवं योजना समीक्षा समिति (SRC) से अनुशंसा के उपरान्त, क्षेत्रीय संतुलन एवं बजटीय उपबंध के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6 / ज०सं०वि०–20–तारां०–02 / 2022 – 1192 / राँची, दिनांक 01/03/2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 307 वि०स० दिनांक 24.02.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2022

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\New Vidhan Sabha\FEB 2022\J-02 Amit Kumar Mandal.doc

142

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०– कृष–04 का उत्तर सामग्री प्रतिवेदन के संबंध में।

क्र० सं०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स०	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि भवनाथपुर विधान सभा अन्तर्गत किसी भी पशुपालन अस्पताल में पशुजनित रोगों के जाँच हेतु कोई भी टेस्ट लैब नहीं है;	पशुपालन प्रभाग अन्तर्गत संचालित पशु चिकित्सालयों में प्रारम्भिक जाँच की सुविधा उपलब्ध है।
2	क्या यह बात सही है कि टेस्ट लैब नहीं होने के कारण सरकारी चिकित्सक भी अनुमान आधारित चिकित्सा करते हैं जिससे पशुपालक को काफी परेशानी होती है एवं उन्नत नस्ल की पशु सामान्य बीमारी की सही पहचान व ईलाज नहीं होने के कारण मर जाती है;	पशु रोग जाँच हेतु पाँचों प्रमण्डल में (पलामू सहित) Regional Disease Diagnostic Laboratory (RDDL) संस्थापित है, जिसका सुदृढ़ीकरण ASCAD (Assistance to State for Control of Animal Disease) योजनान्तर्गत किया जाता है। उक्त Diagnostic Center में आवश्यकतानुसार पशु रोगों का प्रारम्भिक जाँच संबंधित प्रयोगशाला में की जाती है, जिसके फलस्वरूप पशुओं का उचित ईलाज किया जाता है। प्रारम्भिक जाँच एवं रोग के विशिष्ट लक्षण के आधार पर पशु चिकित्सीय कार्य किए जाने हेतु सभी पशुचिकित्सालय में Diagnostic Laboratory में नमूना पर निष्कर्ष नहीं मिल पाता है तो वैसे नमूनों को राज्यस्तरीय जाँच हेतु पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, काँके, राँची में भेजा जाता है, जिसके परिणाम के आधार पर ईलाज किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र एवं राज्य के अन्य जिलों में पशु टेस्ट लैब खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	पशु रोगों की ससमय जाँच कर ईलाज सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य योजना अन्तर्गत राँची पशुचिकित्सा महाविद्यालय, काँके, राँची में Advance Disease Diagnostic Laboratory की स्थापना की जा रही है। स्थापना के फलस्वरूप राज्य के प्रमण्डल एवं जिला स्तर से प्राप्त नमूनों की जाँच की जाएगी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021–22 में एक सौ (100) पशुचिकित्सालयों को मॉडल पशुचिकित्सालय के रूप में विकसित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रथमवर्गीय पशुचिकित्सालय, नगर उँटारी, गढ़वा भी शामिल है। उक्त पशुचिकित्सालय में भी पशु रोग जाँच हेतु मशीन उपकरण, केमिकल्स, Diagnostic Kit इत्यादि उपलब्ध करायी जा रही है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 04/2022 प०पा० 184 राँची, दिनांक 28.02.2022

प्रतिलिपि –अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 282 दिनांक 24.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.2.22
(शिव कुमार केडिया)
सरकार के अवर सचिव

(143)

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-12 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के चंन्दवा अंचल अंतर्गत ग्राम बेतर में जमुनदाहा नदी बहती है, जिसमें सालों भर पानी रहता है.	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि उक्त नदी में तीन स्थलों पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा चेकडैम का निर्माण हेतु प्राक्कलन वर्ष 2019 में तैयार किया गया था, परन्तु अब तक सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी है.	अस्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नदी पर चेकैम बनाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	ग्राम बेतर में जमुनदाहा नाला पर एक चेकडैम के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है। शेष दो चेकडैम का निर्माण तकनीकी रूप से संभाव्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारां०– 68 / 2021 1201 / राँची, दिनांक– 01/03/22

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–___ दिनांक–_____ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

144

श्री निरल पुरती, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–क०–11 की उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि आश्रम विद्यालय का बजट एकलव्य विद्यालय से तुलनात्मक काफी कम है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि आश्रम विद्यालय में +2 की पढ़ाई नहीं होती है,	स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आश्रम विद्यालय का बजट एकलव्य विद्यालय के समतुल्य करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की तुलना में आश्रम विद्यालयों के छात्र–छात्राओं पर खर्च की जाने वाली राशि में असमानता की समेकित विवेचना करने के पश्चात ही किसी प्रकार का निर्णय लिया जा सकेगा। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–02 / वि० स०–04 / 2022–क– 624 राँची, दिनांक– 02/03/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–452, दिनांक–24.02.2022 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/22

(सुरेश रजक)
सरकार के अवर सचिव।

145

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 03.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या खा०–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता
श्री अनन्त कुमार ओझा
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता
मामले विभाग, झारखण्ड।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत् दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति, प्रतिमाह पाँच किलो अनाज अतिरिक्त रूप से निःशुल्क वितरण की जाती रही है, जो मार्च, 2022 तक जारी रहेगी,</td><td>कोविड संक्रमण एवं इसके बढ़ते दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 तक की अवधि के लिए तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मई, 2021 से मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलायी गई है जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त में वितरित किए जाने का प्रावधान किया गया है।</td></tr>
<tr><td>(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित अधिनियम के तहत् प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अनुसार भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) के माध्यम से राज्यों में अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाती रही है, जिससे झारखण्ड के 57 लाख लोग लाभान्वित होंगे,</td><td>वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित 59,28,023 लाभुक परिवारों के 2,64,14,789 सदस्यों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है जो कि अधिनियम के तहत मिलने वाले नियमित खाद्यान्न के अतिरिक्त है।</td></tr>
<tr><td>(3) क्या यह बात सही है कि राजमहल विधान सभा क्षेत्र के सभी प्रखण्डों, नगर परिषद्, नगर पंचायत क्षेत्रों में पिछले छः माह में आवंटन के विरूद्ध स्थानीय लाभार्थियों को अनाज का वितरण किया जा चुका है;</td><td>राजमहल विधान सभा क्षेत्र के राजमहल प्रखण्ड, साहेबगंज प्रखण्ड, उधवा प्रखण्ड, राजमहल नगर पंचायत एवं साहेबगंज नगर पंचायत अन्तर्गत पिछले छः माह में (अगस्त 2021 से जनवरी, 2022 तक) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित एवं वितरित खाद्यान्न की विवरणी निम्नवत् है:–
(मात्रा क्वि० में)
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>माह</th><th>लाभुकों की संख्या</th><th>आवंटन</th><th>वितरण</th><th>प्रतिशत</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अगस्त, 2021</td><td>413557</td><td>2067785</td><td>1973444</td><td>95.44</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सितम्बर, 2021</td><td>413598</td><td>2067990</td><td>1985597</td><td>96.02</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अक्टूबर, 2021</td><td>413480</td><td>2067400</td><td>1983100</td><td>95.92</td></tr>
<tr><td>4</td><td>नवम्बर, 2021</td><td>413514</td><td>2067570</td><td>1958513</td><td>94.73</td></tr>
<tr><td>5</td><td>दिसम्बर, 2021</td><td>413432</td><td>2067160</td><td>1909986</td><td>92.40</td></tr>
<tr><td>6</td><td>जनवरी, 2022</td><td>412649</td><td>2063245</td><td>1554852</td><td>75.36</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज जिला तथा खण्ड–03 में वर्णित क्षेत्रों को कुल कितने अनाज का आवटन कितने लाभार्थियों के लिए किया गया तथा आवंटित अनाज को किस माध्यम से पी०डी०एस० डीलरों तक पहुँचाया गया से संबंधित ब्यौरा उपलब्ध कराने सहित लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?</td><td>वर्तमान व्यवस्था के तहत खाद्यान्न वितरण योजना अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम तक खाद्यान्न का परिवहन JSFC के परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा किया जाता है। साथ ही, JSFC के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से पहुँचाया जाता है।
साहेबगंज जिला के सभी प्रखण्डों/नगर निकायों के विगत छः माह (अगस्त, 2021 से जनवरी, 2022 तक) का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित खाद्यान्न विवरण इस प्रकार है :–
(मात्रा क्वि० में)
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>माह</th><th>लाभुकों की संख्या</th><th>आवंटन</th><th>वितरण</th><th>प्रतिशत</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अगस्त, 2021</td><td>951444</td><td>4757220</td><td>4481603</td><td>94.21</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सितम्बर, 2021</td><td>951280</td><td>4756400</td><td>4540962</td><td>95.47</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अक्टूबर, 2021</td><td>951001</td><td>4755005</td><td>4564554</td><td>95.99</td></tr>
<tr><td>4</td><td>नवम्बर, 2021</td><td>951021</td><td>4755105</td><td>4487678</td><td>94.38</td></tr>
<tr><td>5</td><td>दिसम्बर, 2021</td><td>951247</td><td>4756235</td><td>4308816</td><td>90.59</td></tr>
<tr><td>6</td><td>जनवरी, 2022</td><td>949823</td><td>4749115</td><td>3985135</td><td>83.91</td></tr>
</table>
माह जनवरी, 2022 में संबंधित योजनान्तर्गत साहेबगंज जिला में 2280.966 मै० टन खाद्यान्न का उठाव नहीं हो पाया है। खाद्यान्न का ससमय उठाव नहीं करने के लिए जिम्मेवार परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता को कार्य मुक्त कर दिया गया है। साथ ही, उक्त खाद्यान्न के उठाव हेतु अवधि विस्तार करने के संबंध में विभागीय पत्रांक–415, दिनांक 08.02.2022 एवं पत्रांक 606, दिनांक 25.02.2022 के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। भारत सरकार से अवधि विस्तार मिलने के उपरांत उक्त खाद्यान्न का उठाव करते हुए लाभुकों को वितरित किया जायेगा।</td></tr>
</table>

ह0/–
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – खा०वि०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–10/2022 628 /राँची, दिनांक 01/03/22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 453, दिनांक 24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

(146)

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के मझिगांव प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-खजुरी जलाशय योजना का निर्माण वर्ष 1983 में किया गया है तथा उसमें सालो भर पानी रहता है।	आंशिक स्वीकारात्मक प्रश्नगत् योजना का निर्माण वर्ष 1988 मे प्रारम्भ किया गया,किन्तु निधि के अभाव मे वर्ष 1991 मे कार्य बन्द कर दिया गया।
2	क्या यह बात सही है कि इसके लगभग पाँच हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होने की संभावना है परन्तु नहर का निर्माण नही कराए जाने के कारण दर्जनों गाँव में सिंचाई नही हो पा रहा है।	आंशिक स्वीकारात्मक नहर एवं वितरणी प्रणाली का निर्माण कार्य पूर्ण कर लेने के उपरान्त योजना से लगभग 1698 हे0 (1200 हे0 खरीफ एवं 498 रब्बी) सिंचन क्षमता का सृजन होगा
3	क्या यह बात सही है अधिगृहित भूमि का मुआवजा नही दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप नहर का निर्माण कार्य बाधित है।	आंशिक स्वीकारात्मक भू मुआवजा के भुगतान हेतु पूर्व में भू अर्जन कार्यालय को रू0 3.78 करोड़ (तीन करोड़ अठहत्तर लाख) की राशि विमुक्त की गई है। पुनः भू-मुआवजा हेतु लगभग रू0 665.00 लाख की अधियाचना की गई है। उक्त राशि को अद्यतन करते हुए नये अनुसूचित दर पर योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक मुआवजा राशि का भुगतान कर नहर निर्माण कार्य प्रारंभ कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त भू-मुआवजा का भुगतान एवं अवशेष कार्य कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारां०- 11/2022 1203 / राँची, दिनांक- 24/03/2022

प्रतिलिपि :-(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-304 दिनांक-24.02.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कौंके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.3.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

147

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2022 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–2 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के धनबाद, दुमका, गिरिडिह, चतरा, गोड्डा एवं कोडरमा जिला में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों में किशोरी, गर्भवती, धात्री और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं को बेहतर ढ़ंग से लागू करने के उद्देश्य से वर्ष– 2016 में पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का चयन किया गया था	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के आँगनबाड़ी केन्द्रों में चयनित पोषण सखी बहनों का विगत 11 माह से मानदेय का भुगतान लंबित है	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में चयनित पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का लंबित मानदेय भुगतान, बीमा एवं अवकाश का लाभ सहित ड्रेस कोड लागू करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प संख्या–2126, दिनांक–21.09.2015 द्वारा राज्य के छः जिलों में अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका– सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का चयन केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का मानदेय बंद कर दिया गया है। इस स्थिति में पोषण सखी के मानदेय भुगतान की कार्रवाई लंबित है। अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) की सेवा बनाये रखने एवं इन्हें राज्य संसाधन से मानदेय भुगतान करने संबंधी मामला सम्प्रति राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। इसके उपरान्त ही बीमा एवं अवकाश का लाभ सहित ड्रेस कोड लागू करने जैसी सुविधा पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा– 60/2022 –475 राँची, दिनांक : 25.02.2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक– 74/ वि0स0 दिनांक–17.02.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.22

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

(148)

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-कृष-22 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता- श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि ग्राम विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को धरातल में मूर्तरूप देने हेतु प्रत्येक प्रखण्ड में उद्यान मित्रों का मानदेय के आधार पर चयनित किया गया है;	अस्वीकारात्मक। उद्यान मित्रों को मानदेय नहीं बल्कि प्रोत्साहन राशि रू. 1500 प्रति माह दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग के राज्यादेश सं०-93 दिनांक-25.07.2019 के कंडिका-10 में यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यरत उद्यान मित्रों का मानदेय में प्रति वर्ष बढ़ोतरी की जायेगी जो वर्ष 2019 से आज तक अनुपालन नहीं किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। उद्यान मित्रों को किसी प्रकार के मानदेय की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। उद्यान मित्रों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान समय में मंहगाई का दंश झेल रहे उद्यान मित्रों का अल्प मानदेय से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उद्यान मित्र सरकारी में अनुबंधित कर्मी नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या उद्यान मित्रों के मानदेय में वृद्धि कर वार्षिक के स्थान पर मासिक 18,000/- हजार रूपये मानदेय भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति उपरोक्त कंडिकाओं में स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(ता०)-06/2022 427 /कृ०, राँची, दिनांक-02/03/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-434 दिनांक-24.02.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(ता०)-06/2022 427 /कृ०, राँची, दिनांक-02/03/2022

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोयांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/लोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(149)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का शिकारीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि मयुराक्षी नदी बायां तट के मुख्य नहर से हरिपुर डिस्ट्रीब्यूट्री से कालाकाटा तक कच्चा डिस्ट्रीब्यूट्री नहर का निर्माण कराया गया है,	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि कच्चा डिस्ट्रब्यूट्री होने से पानी की बर्बादी होती है तथा फसलों का भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है,	स्वीकारात्मक। डिस्ट्रीब्यूटरी नहर का पक्कीकरण नहीं हुआ है, किन्तु इससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मयूराक्षी नदी बायां तट के मुख्य नहर से हरिपुर डिस्ट्रब्यूट्री कालाकाटा अंतिम तक पानी बर्बादी रोकने के लिए डिस्ट्रब्यूट्री नहर का पक्कीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	बजट उपबंध की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–22/2022 – 1191 /राँची, दिनांक 01/03/2022

प्रतिलिपि :– अपर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 441 वि०स० दिनांक 24.02.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कोर्के रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

150

श्री दशरथ गागराई, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-कृष-12 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि भूमि संरक्षण विभाग द्वारा निजी एवं सरकारी तालाबों के जीर्णोद्धार से संबंधित ली जाने वाली योजनाएं वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरायकेला खरसावां एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों में अब तक स्वीकृत नहीं की गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्य-65 के विरुद्ध 65 तथा सरायकेला-खरसावाँ जिला के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्य-58 के विरुद्ध 52 योजनाओं का चयन कर लिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2021-22 में पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत 10 सरकारी तालाबों तथा 17 निजी तालाबों की स्वीकृति हो चुकी है एवं शेष तालाबों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सरायकेला-खरसावां जिला अन्तर्गत तालाबों की स्वीकृति जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है समय पर इन योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिलने से इन्हें ससमय पूर्ण कराने में पानी पंचायतों को परेशानी होती है;	स्वीकारात्मक। योजनाओं को ससमय पूर्ण करने हेतु कार्य की तीव्रतां प्रदान करने में पानी पंचायत की सहभागिता आवश्यक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरायकेला खरसावां एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों में उपरवर्णित योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति कंडिका-1 में स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(ता०)-12/2022 436 /कृ०, राँची, दिनांक- 03/03/2022

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-290 दिनांक-24.02.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(ता०)-12/2022 436 /कृ०, राँची, दिनांक- 03/03/2022

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(151)

श्री भूषण बाड़ा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-16 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला से शंख पालामाड़ा हलवाई, गिरमा, खालीजोर जैसे और कई नदियाँ बहती है, पूर्व में इन नदियों के पानी को आलको (भालको) द्वारा उन्नत नदियों के किनारे स्थित गाँवों के खेतों तक पानी पहुँचाने का लाभकारी योजना चलायी जा रही थी जिससे यहाँ के किसान दोहरी खेती करने के साथ बड़े पैमाने पर सालों पर सब्जी का भी उपज करते थे, जो अब बंद है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में सरकार द्वारा सोलर सिस्टम के माध्यम से किसानों के लिए कई योजनाएँ चलायी जा रही है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सोलर सिस्टम के माध्यम से कृषि आधारित योजनाएँ उपर्युक्त गाँवों में लगाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जल संसाधन विभाग द्वारा सोलर सिस्टम आधारित सिंचाई योजना के निर्माण की संभाव्यता पाए जाने एवं लाभुक समिति से इस प्रकार की योजना की माँग एवं रख-रखाव हेतु सहमति प्राप्त होने पर सोलर सिस्टम का प्रयोग कर सिंचाई योजना का निर्माण कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारां०- 68/2021 1202 / राँची, दिनांक- 01/03/22

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-___ दिनांक-___ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2022

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

152

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-कृष-25 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा रु. 2,000 की राशि दी गयी है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना के तहत् तीन किस्तों में प्राप्त होने वाली राशि अनेकों किसानों के खाते में कुछ त्रुटियों के कारण किस्त अब तक जमा नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि लाभुक किसान राशि जमा नहीं होने के कारण परेशानी झेल रहे हैं;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार वर्णित मामले पर टीम गठित कर सर्वे कराकर त्रुटियों को सुधार कर लाभुक किसानों को किश्त की राशि खाते में जमा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभुक किसानों के डाटा में त्रुटियों का निराकरण करने का निर्देश संबंधित उपायुक्त/अंचलाधिकारी को दिया गया है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(मा0)-09/2022 434 /कृ0, राँची, दिनांक- 02/03/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-321 दिनांक-24.02.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राघवेन्द्र झा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(मा0)-09/2022 434 /कृ0, राँची, दिनांक- 02/03/2022

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोयांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/जोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(153)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 03.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष 17 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अनंत कुमार ओझा
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला में कुल निबंधित कृषकों की संख्या–4027 है, जिसमें से मात्र 5 प्रतिशत निबंधित कृषकों से धान क्रय की गयी है, जो धान क्रय करने के लक्ष्य 60 हजार क्विंटल के विरुद्ध अबतक मात्र 7039 क्विंटल धान की क्रय की जा रही है;	साहेबगंज जिलान्तर्गत कुल निबंधित किसानों की संख्या–4,314 है। सभी किसानों को अभी तक कुल 16,239 SMS भेजे गये जिसमें से 776 किसानों के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में दिनांक 27.02.2022 तक साहेबगंज जिलान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 60,000 क्विंटल के विरुद्ध 37,571.91 क्विंटल धान का क्रय किया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य का 62.62 प्रतिशत है। धान क्रय की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2022 तक निर्धारित है।
(2) क्या यह बात सही है कि राजमहल विधान सभा क्षेत्र के किसान धान का विक्रय मूल्य केन्द्रों से बारे में जानते नहीं है तथा जो किसान जानते है उन्हें धान का विक्रय मूल्य की आधी राशि धान अधिप्राप्ति के समय तथा आधी राशि लैम्पस–पैक्स के गोदामों में पहुँचाने के बाद दी जाती है;	साहेबगंज जिले में धान अधिप्राप्ति हेतु कुल 21 एम०एस०पी० केन्द्र है, जिसका व्यापक प्रचार–प्रसार किसानों के बीच किया गया है। किसानों को 50 प्रतिशत राशि का भुगतान धान क्रय के समय ही कर दिया जाता है एवं शेष 50 प्रतिशत की राशि लैम्पस/पैक्स से धान राईस मिल में जाने के बाद किया जाता है।
(3) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा धान अधिप्राप्ति या किसान द्वारा धान विक्रय करने पर विलम्ब से विक्रय राशि मिलने के कारण निजी व्यापारी द्वारा तुरन्त राशि देने के एवज् में कम मूल्य पर धान विक्रय कर देते हैं;	खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 27.02.2022 तक 77,139 किसानों से निर्धारित लक्ष्य 80 लाख क्विंटल के विरुद्ध 39,55,410.07 (उनचालीस लाख पचपन हजार चार सौ दस दशमलव शून्य सात) क्विंटल धान क्रय किया गया है, जो कुल लक्ष्य का 49.44 प्रतिशत है। साहेबगंज जिला में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 63 प्रतिशत धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजमहल विधान सभा क्षेत्र सहित साहेबगंज जिला के निबंधित कृषकों से लक्ष्य के अनुरूप धान क्रय करते हुए अविलम्ब धान अधिप्राप्ति तथा राशि दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	धान अधिप्राप्ति का कार्य दिनांक 31.03.2022 तक निर्धारित है। उक्त अवधि में ई–उपार्जन पोर्टल के माध्यम से धान विक्रय करने वाले सभी किसानों से राज्य सरकार धान की अधिप्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है।

ह0/
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–17/2022 624 /राँची, दिनांक 02/03/22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 431, दिनांक 24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

(154)

श्री सुदिव्य कुमार, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा-08 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सुदिव्य कुमार, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 10 के०भी० एवं 25 के०भी० क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं जो जलकर बेकार पड़े हुए हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि ट्रांसफार्मर जलने के कारण कई गाँव अंधेरे में हैं;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 10 के०भी० एवं 25 के०भी० के ट्रांसफार्मर को जनसंख्या के अनुसार 63 के०भी० एवं 100 के०भी० में बदलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	DDUGJY, JSBAY एवं ADP योजना अन्तर्गत जले 10/16/25 के०भी०ए० के स्थान पर 340 अदद् 25 के०भी०ए०, 120 अदद 63 के०भी०ए० एवं 80 अदद् 100 के०भी०ए० ट्रान्सफार्मर लगाये गये है। बचे ट्रान्सफार्मर बदलवाने हेतु Revamped Distribution Sector योजना अन्तर्गत DPR बनाकर निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया है। स्वीकृति के उपरान्त कार्य पूर्ण किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 399 / दिनांक 02/03/22

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

153

श्री नारायण दास, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–03.03.2022 को पूछ जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–20 का प्रश्नोत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नारायण दास, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में चार (4) विस्कोमान भवन स्थापित है, जिसमें जसीडीह (देवघर) विस्कोमान भवन भी एक है, जो आज भी बिहार सरकार के नियंत्राधीन में है तथा राज्य सरकार को हस्तांतरित नहीं होने की जा सकी है, जबकि राज्य गठन हुए 21 वर्ष से भी ज्यादा की अवधि हो चुकी है ;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य अन्तर्गत जसीडीह में स्थापित विस्कोमान भवन अविभाजित राज्य बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लि०, विस्कोमान भवन, पश्चिमी गांधी मैदान, बिहार, पटना, रजिस्ट्रेशन नं०–MSCS/CR/1074/14 दिनांक–01.08.2014 के नियंत्रणाधीन कार्यरत है। माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना के द्वारा वाद संख्या–CWJC Case No.7068/2015 में पारित आदेश में उल्लेखित है कि बिस्कोमान Multi State Co-operative Society में परिवर्तित हो गया है जिसकी नियंत्री शक्ति Central Registrar Co-operative Societies, नई दिल्ली में निहित है। Multi State Co-operative Society में परिवर्तित होने के कारण इसके स्वामित्व एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया झारखण्ड सरकार द्वारा किया जाना संभव नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य को विस्कोमान भवन हस्तांतरित नहीं होने से भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हो गयी है तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु प्राकृतिक उर्वरक तैयार नहीं हो पा रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उल्लेख करना है कि **विभागीय पत्रांक–462 दिनांक–19.03.2020 द्वारा अध्यक्ष, विस्कोमान, पटना एवं पत्रांक–463 दिनांक–19.03.2020 एवं पत्रांक–1229 दिनांक–09.09.2020** द्वारा प्रबंध निदेशक, विस्कोमान, पटना से जसीडीह (देवघर) सहित झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत अन्य जिला में अवस्थित विस्कोमान भवन एवं विस्कोमान द्वारा निर्मित विभिन्न क्षमता के गोदामों एवं शीत गृहों का जीर्णोद्धार कराने एवं किसानों के हित में इन्हें क्रियाशील बनाने हेतु अनुरोध किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्यान्तर्गत प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक व जैव उर्वरक तैयार	स्वीकारात्मक।

234
28.02.2022

(प्रा० प्र० 30)

	कर किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्य योजना तैयार कर रखी गयी है ;	
4.	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार राज्य से विस्कोमान भवन हस्तांतरण सहित प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका-1, 2 एवं 3 के अनुसार।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-04/विधानसभा (तारांकित)-14/2022 सह0 234 /राँची, दिनांक- 28.02.2022

प्रतिलिपि-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-439 वि0स0 दिनांक-24.02.2022 के क्रम में 200 चत्रलिखित प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/22

सरकार के अवर सचिव।

(156)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-21 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के प्रखण्ड काठीकुण्ड अनुसूचित जनजाति बहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगो का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड काठीकुण्ड अन्तर्गत पंचायत बिछीयापहाड़ी में एकीकृत बिहार सरकार के कार्यालय में झालको द्वारा उद्वह सिंचाई योजना के तहत् गुमरा नदी से सिंचाई के लिए संयत्र लगाया गया था, जो अब जर्जर हो गया है,	स्वीकारात्मक इस योजना का निर्माण भालको (BHALCO) द्वारा एकीकृत बिहार सरकार के कार्यकाल में हुआ है। योजना अब जंजर अवस्था में है।
3	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त योजना के संयत्र का मरम्मति नही होने के कारण किसानों का सैकड़ो एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित है,	स्वीकारात्मक
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जर्जर संयत्र को बदलकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	योजना हेतु लाभुक समिति से बिजली बिल का भुगतान, योजना के रख-रखाव एवं संचालन संबंधी शपथ पत्र प्राप्त होने के पश्चात् जीर्णोद्धार कार्य कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारां०- 68/2021 1195 / राँची, दिनांक- 01/03/2022

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-___ दिनांक-_____ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2022

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

D:\Dest\My documents\2021-22\Vidhan sabha FEB_March_2022\NALIN SOREN_21.docx

158

श्रीमती ममता देवी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-03.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ख-10 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती ममता देवी, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक-12.09.2007 को रामगढ़ जिला हजारीबाग से अलग हुआ था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला से अभी तक को-ऑपरेटिव कार्य हेतु अलग नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला में को-ऑपरेटिव संबंधित किसी भी पदाधिकारी एवं कर्मचारी का पदस्थापन नहीं किया गया है, जिससे पेक्स के कार्य हेतु रामगढ़ के लोगों को हजारीबाग जाना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। रामगढ़ जिला में राजपत्रित/अराजपत्रित पदाधिकारियों/कर्मचारियों का पद सृजित नहीं होने के कारण किसी पदाधिकारी/कर्मचारी का पदस्थापन नहीं किया जा सका है। प्रखण्ड स्तर पर रामगढ़ जिला में प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार को-ऑपरेटिव के संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	हाँ, निकट भविष्य में नियमानुसार पद सृजित कर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदस्थापन करने का विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

झापांक-01/स्था0(वि0स0प्र0)-08/2022 सह0 231 /राँची, दिनांक- 28.02.2022

प्रतिलिपि-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके झाप सं0प्र0-458 वि0स0 दिनांक-24.02.2022 के क्रम में 200 चत्रलिखित प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।